

राजद समाचार

आजादी, समानता और भाईचारा

अंक - 16

मासिक

नवंबर, 2022

सहयोग राशि - 20 रुपये

इस बार

| | |
|---|----|
| पाठकीय अभिमत | 3 |
| राजद राज्य परिषद में पारित विभिन्न प्रस्ताव | 4 |
| आपन गांव, आपन माटी : डॉ. दिनेश पाल | 09 |
| व्यवस्था का नवीनीकरण : प्रियांशु | 10 |
| खरे उतर रहे युवा नेता : जंगबहादुर बेदिल | 11 |
| व्याख्यान : पी. साईनाथ | 12 |
| दीदारगंज की यक्षिणी : अशोक कुमार सिन्हा | 15 |
| अबुल कलाम आजाद : डॉ. मो. दानिश | 17 |
| भाषण : अबुल कलाम आजाद | 20 |
| किराई मुसहर : सत्यनारायण प्रसाद यादव | 21 |
| पठन-पाठन | |
| साहित्य में पिता : नरेन्द्र कुमार | 24 |
| पितृसत्ता की शिनाख्त : संजीव चंदन | 25 |
| मैनेजर पांडेय पर : जगदीश्वर चतुर्वेदी | 26 |
| कवि का पन्ना में : बच्चा लाल उन्मेष | 28 |

सम्पादक

अरुण आनंद

सहयोग

कवि जी/ डॉ. दिनेश पाल

जगदानन्द सिंह

प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, वीरचन्द्र पटेल
पथ, पटना-1 द्वारा प्रकाशित एवं वितरित।

राजद समाचार की ईमेल आईडी
samacharrjd@gmail.com

आरक्षण में वृद्धि और उसके दायरे का विस्तार

अंततः सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने 3-2 के बहुमत के आधार पर संसद में बहुमत से पारित आर्थिक आधार पर सवर्ण गरीबों के लिए लिये गए फैसले पर वैधता की मुहर लगा दी है। यह अकारण नहीं कि कुछ लोग बहुमत वाले कोर्ट के इस फैसले को बहुमत वाली संसद के पक्ष का निर्णय बतला रहे हैं तो कुछ समाजशास्त्री इसे सामाजिक न्याय की अल्पेष्टि कह रहे हैं। केन्द्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले 8 जनवरी, 2019 को लोकसभा में 103वां संविधान संशोधन बिल पेश किया और 14 जनवरी 2019 से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से बाहर के सवर्ण जाति समूह के कमजोर लोगों के लिए दाखिले और सरकारी नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण दिये जाने का फैसला लागू हो गया। इसके पहले इनके लिए न तो पिछड़े वर्ग की तरह काका कालेलकर या मंडल कमीशन की तरह कोई आयोग बनाया गया, न किसी तरह का अध्ययन ही किया गया। सीधे संसद से बहुमत के सहारे यह प्रस्ताव पारित करवा लिया गया। सवर्ण आरक्षण और पिछड़ों के आरक्षण में यही फर्क है कि एक जाति समूह को इसे हासिल करने में जहां चालीस साल लग गए वहीं दूसरे जाति समूह के लिए संसद से सुप्रीम कोर्ट तक एकमत हो गई। एक जाति समूह के लिए यही संसद/सुप्रीम कोर्ट जहां दुविधाओं का पहाड़ खड़ा करती रही, दूसरे के लिए उतनी ही उदार होकर अपनी ही बनाई सिलिंग को भी ध्वस्त करने में उसे कोई गुरेज नहीं रहा। व्यवस्था जनित यह विभेद आरक्षण के मूल उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए काफी है। आर्थिक आधार पर लिया गया आरक्षण का कोई भी फैसला अंततः संविधान विरोधी है और राष्ट्र विरोधी भी। भारत सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध दर्जनों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों की ओर से जनहित याचिकाएं दायर कर सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय को चुनौती दी गई थी। जिसका निर्णय इसी 7 नवम्बर को आया है। 5 न्यायधीशों की संविधान पीठ में से इस फैसले के विरोध में रहे दो न्यायाधीश चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र एस. भट्ट ने इस संशोधन को वैध नहीं माना। उनका मानना था कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उनका तर्क था कि इसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों से जुड़े गरीब शामिल नहीं हैं। इस लिहाज से यह फैसला न्यायपालिका के 70 वर्षों के इतिहास में सबसे विभेदकारी और बहिष्करण वाला है। उन्होंने यह भी इंगित किया कि इससे 50 फीसदी आरक्षण की सीमा का भी हनन होता है। लेकिन उनकी एक न सुनी गई और बहुमत की राय के आधार पर संविधान की मूल आत्मा की कपाल क्रिया कर दी गई। इसके पहले भी एन आर सी और सीए ए मामले में संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ किया गया जब धर्म के आधार पर नागरिकता की परिभाषा तय की गई। सी ए ए का विरोध और ईडब्ल्यूएस का समर्थन यह दोहरापन नहीं चलेगा। संविधान बचाओ अभियान में हमें सुदीर्घ और सुसंगत दृष्टि अपनानी होगी।

आर्थिक न्याय समेत तमाम तरह के न्याय के लिए प्रतिबद्ध राजद किसी भी जाति/वर्ग समूह के गरीबों की विरोधी नहीं है। चाहे वह गरीब सवर्ण समाज के ही क्यों न हों? गरीबी उन्मूलन के लिए केन्द्र और राज्य की बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं और आगे भी चलाई जाती रहेंगी। निश्चय ही इन योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए और इन्हें कारगर तरीके से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन आरक्षण का आधार जातिगत ही होना चाहिए यही

संविधान की मूल भावना रही है। यह भारत में ऐतिहासिक रूप से जातिगत विषमता और वंचना को ऐड़ेस करने के लिए है। भारत जैसे देश में सदियों से जातिभेद की अमानवीय और विभेदकारी व्यवस्था कायम रही है। आजादी के बाद संविधान निमाताओं ने बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की अगुआई में इसकी कसौटी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को माना था। बाबा साहब भी इसे चिरकाल तक कायम रखने के पक्ष में नहीं थे लेकिन उनका जो मूल उद्देश्य था तंत्र में बैठे वर्चस्वादी जातिवादियों ने सही ढंग से कार्यान्वित ही नहीं होने दिया।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भारत की व्यापक बहुसंख्या आरक्षण को लेकर आशंकाओं से घिर गई है जबकि एक बेहद छोटी संख्या आह्लादित है। यह वही समूह है जिसने 1990 में बीपी सिंह द्वारा आरक्षण लागू किये जाने के निर्णय पर देशव्यापी हंगामा खड़ा किया था, यह वही समूह है जो तब आरक्षण को दूसरे की हकमारी मानता था। तब उसने पूरे देश को अशांति की आग में झोंक देने का हर एक तुरूप खेला था।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने बहुत सारी संभावनाएं और अवसर के द्वार भी खोल दिये हैं। पहले की तरह सीलिंग अब बाध्यता नहीं रही। आरक्षण की पूर्व निर्धारित 50 प्रतिशत की सीलिंग टूट गई है। मंडल कमीशन ने अपनी अनुशंसा में ओबीसी के लिए 52 प्रतिशत आरक्षण की अनुशंसा की थी, लेकिन इस समूह को अभी 27 प्रतिशत ही आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है। अब जबकि सीलिंग की सीमा टूट गई है तो हरेक वर्ग समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। जाति जनगणना उचित और पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए ताकि सभी जातियों का वास्तविक आंकड़ा इकट्ठा हो सके। 'जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी' का फामूला सुनिश्चित हो सके। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश में एक बात की आकांक्षा जगी है कि सीलिंग बढ़ाई जाए। झारखंड में ओबीसी के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण था, जिसे हेमंत सोरेन की सरकार ने 27 प्रतिशत कर दिया है।

बिहार में महागठबंधन की सरकार इस मोर्चे पर गंभीरता से काम कर रही है। यहां जाति जनगणना आरंभ हो चुकी है जिसकी रिपोर्ट अगले साल के मई में आने की उम्मीद है। सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पूरे देश में ओबीसी आरक्षण सीमा बढ़ाने और देशव्यापी जाति जनगणना कराने की एकाधिक बार मांग कर चुके हैं। करीब-करीब यह तय है कि बिहार सरकार भी सिलिंग के दायरे को बढ़ाने और मंडल कमीशन की अनुशंसा के अनुरूप ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाने का उपयुक्त समय पर निर्णय लेगी। यहां यह भी उल्लेख करते चलें कि संविधान के 103 वें संशोधन का एकमात्र सकारात्मक पक्ष यह है कि इसने निजी क्षेत्र में भी आरक्षण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अभी जब पूरे देश में सरकारी नौकरियां बिल्कुल सिमटती जा रहीं हैं, यह जरूरी है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का विस्तार करने वाले कानून लाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए।

अतीत में, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों का रवैया शुरू से टालमटोल और यथास्थिति बनाये रखने का रहा है। कालेलकर आयोग से मंडल आयोग की यात्रा को देखें तो इनकी अनुशंसा के बाद भी कांग्रेस वर्षों कुंडली मारे बैठी रही। बीपी सिंह ने राजनीतिक दबाव में इसे लागू भी किया तो आधे अधूरे रूपों में। इसके उलट ईडब्लूएस पर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जिस तीव्रता से सकारात्मक एप्रोच दिखलाया गया वह यह बतलाता है कि तंत्र में अभी भी वर्चस्वशाली समूह बहुत प्रभावी तरीके से जमं हुए हैं। अभी भी आरक्षण

रोस्टर का सही ढंग से अनुपालन नहीं करने और आरक्षित रिक्त पदों के अनुरूप भर्तियां नहीं करने के लिए ये ही जवाबदेह रहे हैं।

आरक्षण की समय सीमा और उसके मूल्यांकन की बात कई मंचों से, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भगवत से लेकर ईडब्लूएस के पक्ष में फैसला देने वाले माननीय न्यायधीश तक शामिल हैं, कई-कई बार अलग-अलग लोगों द्वारा उठाई जाती रही है, इसका परीक्षण प्रभावी तरीके से हो इसके लिए आजतक किसी दल या संगठन ने आवाज उठाई हो इसका उदाहरण नजर नहीं आता। उल्टे दलित ओबीसी में एक मध्यवर्ग पैदा होने की बात जोर-शोर से प्रचारित की जाती रही है। कुछ वर्ष पूर्व पटना से प्रकाशित होनेवाली एक पत्रिका ने '25 वर्षों में कितनी बदली पटना की सामाजिक संरचना' नाम से एक शोधपरक आलेख प्रकाशित किया था। इस सर्वे में बिहार में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कई विभागों में हिस्सेदारी के आंकड़े सामने रखे और पाया कि किसी भी क्षेत्र में मंडल राज्य में पिछड़ों की कोई भी निर्णायक बढ़त नहीं है। इस तरह के अध्ययन वर्चस्ववादी समूहों की बहुप्रचारित गोयबल्सीय झूठ को सामने लाता है और आरक्षण के सही कार्यान्वयन अभी भी नहीं होने को इंगित करता है। बदली हुई परिस्थितियों में समय का तकाजा है कि बिहार सरकार अपने पिछड़े-अति पिछड़े आयोगों को दिशा निर्देश दे ताकि बिहार में जारी आरक्षण के सही आंकड़े सामने आएं और उसका उचित अनुपालन सुनिश्चित हो। वर्तमान में इन आयोगों की बढ़ी हुई सक्रियता इस बात की तस्दीक करती है कि हमारी सरकार इस मामले में कितनी गंभीर है। वक्त का तकाजा है कि मंडल आयोग की अन्य महत्वपूर्ण अनुशंसाओं को भी अमल में लाया जाए।

इसी माह बिहार विधानसभा का मोकामा और गोपालगंज उप चुनाव सम्पन्न हुआ। इनमें से मोकामा सीट पर राजद की प्रत्याशी नीलम देवी भाजपा की सोनम देवी से लगभग 16420 के बड़े वोटों के अंतर से विजयी हुई। जबकि गोपालगंज में हमारे प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता भाजपा प्रत्याशी कसुम देवी से 2157 वोटों के अंतर से अंतिम चरण में हार गये। इन दोनों सीटों पर तीन नवंबर को मतदान हुआ था जिसमें 52.3 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद का यह पहला चुनाव था। इन नतीजों ने यह साबित किया है कि बिहार में महागठबंधन के भारी जनाधार की व्यापक गोलबंदी हुई और गोपालगंज में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में सहानभूति वोटों के ध्रुवीकरण के बावजूद हमने पहले की तुलना में काफी मत पाया और बेहद कम मतों से हमारी हार हुई। माननीय तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में महागठबंधन आगे के चुनावों में अपराजेय रहेगा, इस जनादेश ने यह साबित कर दिया है।

इस अंक का प्रकाशन अंतिम चरण में था तभी हमारे बीच से वयोवृद्ध समाजवादी नेता धनिक लाल मंडल का निधन हो गया। एक जनप्रतिनिधि के बतौर उन्होंने हमेशा आम आदमी के हितों को सदन में उठाया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष से लेकर, केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री और हरियाणा-पंजाब के राज्यपाल पद तक का दायित्व उन्होंने बहुत जवाबदेही और गरिमा के साथ निभाया। 'राजद समाचार' उनकी स्मृति को नमन करता है। हम अगले अंक में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित आकलन के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे।

अरुण आनंद

पाठकीय अभिमत

असरदार अंक

अपनी उत्तरोत्तर उत्कृष्टता एवं नवीनता के कारण मासिक पत्रिका 'राजद समाचार' का प्रत्येक अंक महत्त्वपूर्ण एवं संग्रहणीय होते जा रहा है। हाल ही में इस पत्रिका का 15वां अंक पढ़ा। यह दो भागों में विभक्त है। पहला भाग मुलायम सिंह यादव स्मरण एवं दूसरा डॉ राममनोहर लोहिया पर विशेष रूप से फोकस है। हालांकि दोनों भाग में मुख्य शीर्षक से इतर और भी आलेखों को समाहित किया गया है, लेकिन इस अंक के केन्द्र में हैं डॉ. लोहिया। जनपक्षधर नेता मुलायम सिंह यादव को स्मरण करते हुए विद्याभूषण रावत एवं दयानंद पांडेय का लिखा आलेख उत्कृष्ट एवं संग्रहणीय है।

डॉ. लोहिया से संबन्धित विशेष शोधपरक सामग्रियों का संकलन किया गया है जो समाजवाद एवं लोहिया से संबंधित इच्छुक शोधार्थियों एवं जिज्ञासु लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। इसमें एक तरफ जहां डॉ. लोहिया की विस्तृत जीवन-ज्ञांकी शामिल है वहीं दूसरी तरफ धर्मवीर भारती लिखित समता+स्वातन्त्र्य+सौन्दर्य = लोहिया अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संस्मरण है। एक तरफ जहां प्रकाश चंद्रायन का लोहिया से संबंधित संस्मरण है वहीं दूसरी तरफ डॉ. लोहिया का नर-नारी समता एवं हिंदू बनाम हिंदू पर लिखे विचारों पर विस्तृत लेख को सम्मिलित किया गया है। स्त्री की दुर्दशा एवं उनके अधिकारों का पक्ष बहुत ही महत्त्वपूर्ण ढंग से उठाया गया है।

धार्मिक उन्माद की कट्टर मानसिकता पर डॉ. लोहिया के विचार बहुत असरदार हैं। मानसिक कट्टरता एवं अवचेतना की प्राप्ति पर आलेख का अंश - "हिंदू धर्म ने सच्चाई और सुंदरता की ऐसी चोटियां हासिल कीं जो किसी और देश में नहीं मिलतीं, लेकिन वह ऐसे अंधेरे गढ़ों में भी गिरा है जहां तक किसी और देश का मनुष्य नहीं गिरा। जब तक हिंदू जीवन की असलियतों को, काम और मशीन, जीवन और पैदावार, परिवार और जनसंख्या वृद्धि, गरीबी और अत्याचार और ऐसी अन्य असलियतों को वैज्ञानिक और लौकिक दृष्टि से स्वीकार करना नहीं सीखता, तब तक वह अपने बंटे हुए दिमाग पर काबू नहीं पा सकता और न कट्टरता को ही खत्म कर सकता है, जिसने अक्सर उसका सत्यानाश किया है।" सोचने को मजबूर करती है। वहीं वैज्ञानिकता एवं रागात्मक भावनाओं के बीच संतुलन को लेकर डॉ. लोहिया लिखते हैं - "भारतीय इतिहास के पन्नों में मुझे ऐसा कोई काल नहीं मिला जिसमें आजाद हिंदू ने विदेशों में विचारों या वस्तुओं की खोज की हो। हिंदुस्तान और चीन के हजारों साल के संबंध में मैं सिर्फ पांच वस्तुओं के नाम जान पाया हूँ जिनमें सिंदूर भी है, जो चीन से भारत लाई गई। विचारों के क्षेत्र में कुछ भी नहीं आया।" इस तरह की सभी शोध सामग्रियों को सामने लाने के लिए संपादक मंडल धन्यवाद के पात्र है। डॉ. दिनेश पाल द्वारा लिखित कांशीराम : बहुजन समाज के प्रतिबद्ध शिल्पकार में मान्यवर कांशीराम के जीवन-संघर्ष को अच्छे से रखा गया है। हाल ही में दिवंगत भिखारी ठाकुर के अंतिम सहकर्मि रामचंद्र मांझी पर डॉ. जैनेन्द्र दोस्त का शोधपरक आलेख है। उर्मिलेश की पुस्तक 'मेम का गांव, गोडसे की गली' पर नरेश नदीम की शानदार समीक्षा है। पत्रिका स्त्रीकाल जो स्त्री की ही पक्षधर रही है, के विशेषांक पर शोधार्थी सुरेश कुमार ने बढ़िया लिखा है। रोजगार का संकट एवं 'तेजस्वी मॉडल' जहां नये विमर्श को जगह दे रही है वहीं पार्टी की गतिविधि भी

पाठकों में मानसिक हलचल पैदा कर रही है। कुल मिलाकर कहें तो यह अंक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं संग्रहणीय है। इसी तरह आगे का सफर यूं ही जारी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ!

विनय सिंह

महबूब खां टोला
गुरुद्वारा रोड, पूर्णिया

लोहिया पर उल्लेखनीय अंक

महोदय, 'राजद समाचार' का अक्टूबर अंक पढ़ा। काफी वैचारिक, विविधतापूर्ण और सारगर्भित लगा। इस अंक में डॉ. राममनोहर लोहिया पर केंद्रित कई आलेख प्रकाशित किये गये हैं। इसमें धर्मवीर भारती का आलेख विचारोत्तेजक और पठनीय बन पड़ा है। डॉ लोहिया को देखने का एकदम नया नजरिया। समता, स्वतंत्रता और सौंदर्य को देखने का एकदम नया नजरिया। लोकसभा द्वारा प्रकाशित सुविख्यात सांसद सीरीज में प्रकाशित डॉ. लोहिया का मोनोग्राफ में संकलित तथ्य भी रोचक बन पड़े हैं। डॉ. लोहिया की पुण्यतिथि पर केंद्रित अंक में उनसे जुड़े ढेर सारे पठनीय और रोचक आलेख प्रकाशित हैं। इसके अलावा राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू यादव का 12वीं बार निर्वाचन और उनका संबोधन भी पठनीय है।

एक राजनीतिक पार्टी द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'राजद समाचार' में विषय का चयन और आलेखों की भाषा भी काफी सुरुचिपूर्ण होती है। पढ़ने में प्रवाह बना रहता है। किसी राजनीतिक पार्टी की पत्रिका के लिए वैचारिक आलेख सबसे महत्त्वपूर्ण सामग्री होते हैं। पार्टी नेता की गतिविधि और भाषण भी अपरिहार्य सामग्री है। लेकिन इसके साथ ही पार्टी के प्रादेशिक, जिला और प्रखंड स्तर पर होने वाली गतिविधियों को भी जगह मिलनी चाहिए। एक पत्रकार के रूप में लोकल खबरों के संकलन और चयन में होने वाली परेशानी से हम अवगत हैं। कार्यकर्ताओं या पाठकों के छोटे-छोटे आग्रहों को भी हमने झेला है। इसके बावजूद स्थानीय खबरों को पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। इसके लिए संपादकीय स्वायत्तता भी जरूरी है।

हम उम्मीद करते हैं कि पत्रिका के आगामी अंकों में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के आंदोलन, संघर्ष और आयोजनों को पर्याप्त जगह मिलेगी। इससे पत्रिका का विस्तार होगा और पार्टी के वैचारिक फलक में इजाफा होगा।

वीरेंद्र यादव

संपादक, वीरेंद्र यादव न्यूज, पटना

अमूल्य योगदान

'राजद समाचार' जिसका मुख्य उद्देश्य आजादी, समानता और भाईचारा की भावना को प्रचारित-प्रसारित करना है, यह हमारे लोकतंत्र को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए अत्यावश्यक भी है। इस कार्य में यह पत्रिका दिन-प्रतिदिन अपना अमूल्य योगदान देने की ओर अग्रसर है। ताजा 'राजद समाचार' पत्र अंक-14 मुझे **शेष पेज 23 पर**

सामाजिक, आर्थिक असमानता का खात्मा हमारा लक्ष्य

राजनीतिक प्रस्ताव

राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं परिषद् की बैठक पिछले दिनों दिल्ली में संपन्न हुई। इस मौके पर देश के मौजूदा संकट पर कई सत्रों में विचार-विमर्श का दौर चला। हम राजद समाचार के आगामी अंकों में धारावाहिक रूप से उन विचारों को प्रकाशित करते रहेंगे। इस बार पेश है पार्टी के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अपने समय की जटिलताओं को समझने में ये विचार पाठकों का दिशा-निर्देश करेंगे : सम्पादक



पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नेतागण

राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय परिषद् की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब देश में अधिनायकवादी सरकार स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को अनदेखा करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं के उल्लंघन पर आमादा है। देश की गंगा-जमुनी संस्कृति और साझी-विरासत को समाप्त करने के लिए समाज में घृणा और उन्माद का माहौल बनाया जा रहा है। सदियों की एकता और अखण्डता की बुनियाद पर हमले हो रहे हैं। यह सब कुछ दिल्ली की सत्ता पर काबिज लोगों की शह पर हो रहा है। देश के लिए यह आधुनिक इतिहास का सबसे खतरनाक दौर है। भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा खुलकर सामने आ रहा है। केन्द्र की सत्ता में आने के बाद भाजपा अपना गुप्त एजेंडा लागू करने पर तुली है। अब भारत को नया भारत (न्यू इण्डिया) कहा जा रहा है जिसका इतिहास 2014 से शुरू होता है। आजादी की लड़ाई में जिनका कोई योगदान नहीं रहा, वे आजादी के 'अमृत महोत्सव' के बहाने नया इतिहास लिखवा रहे हैं। सीधी बात यह है कि ये छल और कपट से इतिहास के तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर देश के लिए कुबानी देने वालों के महत्व को कमतर करने और आर.एस.एस. से जुड़े लोगों को पिछले दरवाजे से घुसाकर नया इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद् की यह बैठक भाजपा के इस कुत्सित प्रयास की निंदा करती है और इसका विरोध करती है।

हमारा मानना है कि एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुखौटा है। इस मुखौटे की आड़

में संघ अपनी विचारधारा को लागू करने की कोशिश कर रहा है। यह विचारधारा संकीर्ण और कट्टरपंथी है। इसमें समता, 'स्वतंत्रता' भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता के लिए कोई जगह नहीं है। इसे भारत के संविधान में भी आस्था नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान समता, स्वतंत्रता धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की गारंटी देता है। किन्तु ये अपनी सुविधा के अनुसार संविधान की व्याख्या करते हैं और भावनात्मक मुद्दे उठाकर समाज में तनाव और भय पैदा करके उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। पिछले आठ सालों में देश में जानबूझकर तनाव और असहिष्णुता का वातावरण बनाया गया है। इसका सबसे ज्यादा शिकार अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित और कमजोर समुदाय के लोग हुए हैं। इसके साथ ही प्रगतिशील सोच वाले बुद्धिजीवी और युवाओं को भी 'अर्बन नक्सली' कह कर प्रताड़ित किया जा रहा है। केन्द्र की भाजपा सरकार को लक्ष्य कर सोशल मीडिया में आजकल एक खबर लोगों के बीच विशेष चर्चा में है। किसी ने लिखा है-देश में केवल चार लोग काम करते हैं। दो लोग बेचते हैं और दो लोग खरीदते हैं। चारों गुजरात के हैं।

दरअसल 'लोकतंत्र में असहमति के अधिकार' को भाजपा सरकार ने देशद्रोह मान लिया है। उसकी नजर में वह हर व्यक्ति जो भाजपा और आर.एस.एस. से अलग राय रखता है, देशद्रोही है। इस अधिनायकवादी संकीर्ण सोच ने देश के राजनीतिक माहौल को प्रदूषित किया है। अतः आज समय की मांग है कि लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और संविधान में विश्वास करने वाले समान विचार के राजनीतिक दलों को एक साथ आकर भाजपा के संकीर्ण, कट्टरपंथी और

जनविरोधी राजनीति का मुकाबला करना चाहिए। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे नेता राजद के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस दिशा में सार्थक पहल की है। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय परिषद् की यह बैठक इस प्रयास का स्वागत करती है। हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों की एकजुटता 2024 के लोकसभा चुनाव में फासीवादी एवं निरंकुश सत्ता से देश को मुक्ति दिलाएगी।

हम सब जानते हैं कि दक्षिणपंथी नवउदारवाद और उग्र वैमनष्यता की कट्टर विचारधारा से लैस केंद्र की मौजूदा एनडीए सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का भी आधा सफर तय कर चुकी है। सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास के लुभावने नारों से दिग्भ्रमित कर सत्ता पर कब्जा करने के पश्चात इनकी नीति और नियत दोनों ही गरीब, दलित और पिछड़ा विरोधी साबित हो रहे हैं। रोटी, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के मौलिक मुद्दों पर आपराधिक चुप्पी के साथ सरकार और संघ में बैठे इनके मनुवादी विचारकों ने संविधान की मर्यादा और इसकी गरिमा को तार-तार करने का काम किया है। विकास और आर्थिक प्रगति के नाम पर आम अवागम सिवाय मंहगाई और शून्य रोजगार के कुछ नहीं हासिल कर पा रहा है। आज देश में बेरोजगारी पिछले पांच दशक में सर्वाधिक है और सकल घरेलू उत्पादन के आंकड़ों पर सरकार के अपने ही घटकों के और संस्थाओं में स्पष्टता का अभाव परिस्थितियों को और विकराल बना रहा है। देश के अलग-अलग हिस्सों में सामाजिक ताने-बाने को आरएसएस, विहिप और बजरंग दल के लोग हिंसक समूह गान से क्षत-विक्षत कर रहे हैं। यह समझ लालू प्रसाद यादव जी को थी। 2014 में ही उन्होंने कह दिया था कि अगर नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की जीत होती है, तो सवाल यह है कि देश टूटेगा या बचेगा। वही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और उसके प्रति केंद्र के सरकार की उदासीनता ने गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के समक्ष एक भयावह और डरावने भविष्य की लम्बी लकीर खींच दी है। गैर बराबरी को खत्म करने के बजाय गैरबराबरी बढ़ाने और हाशिये के जाति समूहों को तमाम योजनाओं से वंचित करने की साजिश की जा रही है।

भारत में निवास करने वाले हर कमजोर और गरीब जिस में मुख्य रूप में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के साथ-साथ धार्मिक अल्पसंख्यक, सभी गरीब और निर्धन व्यक्ति, और सभी वर्गों की औरतें शामिल हैं। इन सभी के लिए राजद सामाजिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता, और राजनैतिक बदलाव की लड़ाई लड़ने का लिए प्रतिबद्ध है। हमारी विचारधारा का उद्देश्य समग्र विकास और बहुजन समाज के संघर्षों को क्रियाशील और उनका प्रतिनिधित्व करने का है। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय परिषद् के माननीय सदस्यगण! आप सब लोग देश के वातावरण और राजनीतिक स्थिति से अवगत हैं। भारतीय जनता पार्टी धन-बल के जरिए राज्यों की गैर-भाजपा सरकारों को तोड़ने का धिनौना खेल, खेल रही है। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है। बिहार में भी वह डोरे डाल रही थी। किन्तु यहां सामाजिक न्याय के लोगों की एकजुटता ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। 10 अगस्त 2022 को यहां महागठबंधन की सरकार बन गई और भाजपा बिहार की सत्ता से बाहर हो गई। यही हथ्र 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी होने वाला है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, राजद सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से कमजोर वर्गों के शोषण और वंचितों के दमन को समाप्त करने के लिए एक आंदोलन के माध्यम से लोकोन्मुख और

प्रगतिशील विचारधारा का प्रचार करेगी और वंचित समूहों, पिछड़ी जातियों, और गरीब वर्गों की राजनीतिक गतिविधि और शासन में भागीदारी के सवालों को लगातार जिंदा रखेगी।

1. हमारी पार्टी राजद मानती है कि जहां-जहां असमानता है, वहां-वहां समानता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हम समानता के अधिकार के लिए हर लड़ाई लड़ने को हमेशा तैयार हैं। राष्ट्रीय जनता दल संविधान के प्रावधानों को और बलवती बनाने एवं समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा।
2. हमें यह मानना होगा कि हम भाजपा और संघ के साथ राजनीतिक लड़ाई ढाई दशकों से लगातार लड़ रहे हैं और इसमें हमें कामयाबी भी मिली है लेकिन धर्म और संस्कृति जैसे पहलुओं में हाल के दिनों में संघ, विहिप और बजरंग दल के लोगों ने जो घुसपैठ की है उसके खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। अपनी समन्वयवादी विचारधारा से लैस होकर राजद का एक-एक कार्यकर्ता मिलेजुले समाज और साझा तहजीब के पक्ष में लोगों को गोलबंद करेगा। हम राजनीतिक लड़ाई भी जारी रखेंगे लेकिन गंगा जमुनी सांस्कृतिक चेतना का अवसान न हो इसके लिए निरंतर संघर्ष करेंगे।

3. हम आर्थिक असमानता और "Haves And Have Nots" के बीच के व्यापक अंतर को खत्म करने को अपना लक्ष्य मानते हैं।

4. हम यह मानते हैं कि आर्थिक रूप से वंचित जनता का राजनीतिक सशक्तीकरण जब तक नहीं होगा तब तक वे खुद को शोषण के चंगुल से मुक्त नहीं कर पाएंगे। दक्षिणपंथी राजनैतिक संगठन सशक्तीकरण की जगह गरीबों के बीच नफरत के बीज बो रहे हैं।

5. भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक और इन सभी तबकों में औरतें सबसे अधिक उत्पीड़ित और शोषित हैं। पार्टी इनको संगठित करती आ रही है और आगे भी करेगी। हम निजी क्षेत्र में आरक्षण के हमेशा पक्षधर रहे हैं और जल्द ही इस दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक पहलकदमी करेंगे।

6. वंचितों और शोषितों के पिछड़ेपन को दूर करना, उनके उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ लड़ना, समाज और सार्वजनिक जीवन में उनकी स्थिति में सुधार लाना हमारा लक्ष्य है।

7. राजद संविधान के प्रावधानों को और प्रबल बनाने एवं समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए हर कोशिश करेगा। हम बिहार में जातिगत जनगणना आगामी दिनों में शुरू करने जा रहे हैं साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे करवाने के लिए निरंतर संघर्षरत रहेंगे।

8. न्यायपालिका में आरक्षण सुनिश्चित करने के सन्दर्भ में राजद ने लगातार सदन और सड़क पर अपना पक्ष रखा है। आजादी के 75वें वर्ष में हम कॉलेजियम के बदले अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से संवैधानिक प्रावधानों को सुनिश्चित करने की लड़ाई लड़ते रहेंगे ताकि पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व फौरी तौर पर हासिल किया जा सके।

9. सामाजिक और आर्थिक समानता के संघर्ष के साथ-साथ राजद 2024 के आम चुनाव में राजनैतिक बदलाव के लिए भरसक प्रयास करेगी। महागठबंधन ने जो बिहार में राजनैतिक बदलाव दिया है, उसे आधार बना कर राष्ट्रीय स्तर पर भी बदलाव लाने का संकल्प राजद ने लिया है।

(पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दकी द्वारा पढ़ गया पर्चा।)

आज कोई भी संस्था स्वायत्त नहीं

सामाजिक प्रस्ताव

सामाजिक न्याय की प्राप्ति में सामाजिक नीति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामाजिक नीति के जरिये सभी को व्यक्तिगत विकास के अवसर समान रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे सशक्त समाज का निर्माण हो सके। सामाजिक नीति विभिन्न भेदभावों, बाधाओं और अन्यायों को समाप्त कर समाज की एकजुटता रखते हुए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। इस परिदृश्य पर मौजूदा सरकार को देखें तो पाते हैं कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, और कारवाई के पैमाने पर समाज के कमजोर वर्ग हाशिये पर चले गए हैं। वही गरीबी, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अपराध और न्याय को देखें तो पाते हैं कि स्थिति बद से बदतर हो गयी है। हाशिये पर जो लोग हैं उनकी पहचान के लिए राष्ट्रीय जनता दल परिवार जाति-जनगणना के पक्ष में मुखर हो कर अपनी बात रख रही है जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है। जाति-जनगणना से पता चल सकेगा कि वे कौन लोग हैं जो आजादी के 75 वर्षों बाद भी संस्थाओं तक अपनी पहुंच नहीं बना पाए हैं। जब हम शिक्षा क्षेत्र को देखते हैं तो पता चलता है कि मौजूदा सरकार में शिक्षा में असामनता और साक्षरता में गिरावट बढ़ गयी है, कोविड-19 के पहले यह 54 प्रतिशत थी जो अब बढ़ कर 70 प्रतिशत हो गयी है। यहां तक कि सेकेंड्री स्कूल के स्तर पर विद्यार्थियों की पढ़ाई छोड़ने की दर 14.6 प्रतिशत हो गयी है। छात्रों की स्थिति तो और भी दयनीय है। जो पैसा एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस से आता है, उसे भी खर्च नहीं किया जा रहा है और छात्रों को भी मिलने वाली सुविधा में कटौती की जा रही है। 2004-2005 से ही शिक्षा पर सरकार सेस के अलावा बजट का 2.3 प्रतिशत खर्च कर रही थी जो 2022 में घटकर 1 प्रतिशत हो गया है। वहीं मौजूदा सरकार स्वास्थ्य पर बजट का 1.2 प्रतिशत खर्च कर रही है जिसके कारण लगभग 30 प्रतिशत लोग स्वास्थ्य व्यवस्था से बाहर हैं। जब हम हायर एजुकेशन को देखते हैं तो पाते हैं कि सामाजिक न्याय की अवधारणा को तार-तार किया जा रहा है। आरक्षण नीति को खुली चुनौती दी जा रही है। उच्च शिक्षा में आरक्षण 2006 में लागू किया गया है पर पिछले 14 सालों में मात्र 9 प्रोफेसरों की ही नियुक्ति 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हुई है।

नई शिक्षा नीति वंचितों के लिए एक अभिशाप साबित होगी, क्योंकि शिक्षण संस्थानों को कर्ज दिया जा रहा है और कर्ज लेकर विश्वविद्यालय अपना काम चलाए, यह फीस बढ़ाने का नया तरीका है। वही शिक्षकों के कामकाज में अस्थिरता आएगी, नियुक्तियां नहीं के बराबर होंगी, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बढ़ेगा। मौजूदा सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से निजी क्षेत्र के हाथों केवल बाजारवादी हितों को साधने का जरिया बनाया जा रहा है। भारत एक युवा देश है और यहां युवाओं को उपभोक्ता के रूप में देखा जा रहा है, इस कारण भी भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कुछ पूंजीपति लोग कब्जा करना चाहते हैं और मौजूदा सरकार उनकी मदद कर रही है। ठीक इसी प्रकार पिछले आठ सालों में धर्म के आधार पर मॉब लिचिंग की वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। इस तरह के संवेदनशील माहौल पर भी सरकार मौन हो जाती है या उनके नेता और कार्यकर्ता इसे बढ़ावा देने का काम करते हैं। इस तरह की घटनाओं पर राष्ट्रीय जनता दल गहरी संवेदना व्यक्त करता है। वहीं मंहगाई और बेरोजगारी के मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक मुद्दे उछलती है। कभी मंदिर मस्जिद का सवाल, कभी धर्म परिवर्तन का

मामला तो मुगल बादशाहों के नाम पर बने शहरों और सड़कों के नाम बदलने की कवायद चलती रही और आज भी जारी है। इस तरह के भावनात्मक मुद्दे उछलकर अनैतिक लाभ लेने की साजिश भाजपा का असली मकसद है। उसका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस साजिश को छुपाने की ढाल है। प्रेमचन्द ने एक जगह लिखा है कि साम्प्रदायिकता हमेशा संस्कृति के पर्दे में ढंक कर आती है, क्योंकि वह बिना पर्दे के आने में लजाती है। यह बात भारतीय जनता पार्टी की सोच और कार्य-शैली के बारे में बिल्कुल सटीक बैठती है।

संविधान के निमार्ताओं ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अंकित किया है और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य को वचनबद्ध किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आत्मनिर्भर भारत का बिगुल फूंक कर भारत की मासूम जनता को छलावा दे रही है। इस परिस्थिति में जनमानस त्राहिमाम कर रहा है जिस पर राष्ट्रीय जनता दल गहरी चिंता व्यक्त करती है। पिछले आठ सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने संरचनात्मक और राजकोषीय सुधार किया है उससे लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। चाहे वह नोटबंदी हो, जी.एस.टी., रेग, नियंत्रण मुक्त इंधन की कीमत या फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम। इसके साथ-साथ वेतन कटौती, आय में गिरावट, नौकरियों में कमी, बेरोजगारी और लॉकडाउन के दुष्प्रभाव, इन सबने समाज के सभी वर्गों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार में इस विषय को लेकर कोई संजीदगी और दूरदृष्टि नहीं है। वही दूसरी तरफ एक-एक करके संवैधानिक व अन्य संस्थाओं को विखंडित किया जा रहा है चाहे वह आरबीआई, विश्वविद्यालय, निर्वाचन आयोग, सीबीआई, ईडी हो या आयकर विभाग, कोई भी संस्था स्वायत्त नहीं है। यहां तक कि आर्मी और न्यायपालिका पर भी सरकार का दुष्प्रभाव देखा जा सकता है। अब तो प्रजातंत्र की स्वतंत्र और निर्भीक आवाजों को भी कुचला जा रहा है। मीडिया का भी प्रोपगंडा मशीनरी की तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आजाद भारत में पहली बार देखा जा रहा है कि (क्रॉनि कैपिटलिज्म) कुछ कॉर्पोरेट घरानों को भारत की संपदा बेची जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रजातंत्र का प्रजातान्त्रीकरण, विविधता में एकता और सामाजिक क्रांति की अवधारणा, सेकुलरिज्म और संघवाद को भी वर्चस्ववादी नीतियों से शर्मसार किया जा रहा है। भाजपा की मौजूदा सरकार संविधान के निमार्ताओं के मूल्यों पर न चलकर दामोदर विनायक सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल्यों पर सांस्कृतिक-राष्ट्रवाद की कल्पना पर अग्रसर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंह एवं संविधान के निमार्ताओं ने जो मूल्य रखे थे उनसे नए भारत बनाने की अवधारणा के साथ राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से आगे बढ़ रही है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए राजद केन्द्र सरकार की नीतियों की आलोचना करती है। क्योंकि जनमानस त्राहिमाम कर रही है।

1. नोटबन्दी, एन.एस.एस.ओ. (नेशनल सैंपल सर्वे) और पी.एल.एफ.एस. (पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे) के डेटा को देखें तो पाते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा देखने को मिली है। 2016 से 2019 तक लगभग 6 मिलियन लोगों की नौकरियां चली गईं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भारी कमी दिखी है। रियल

एस्टेट में भी इसका गहन प्रभाव देखने को मिला है जहां प्रमुख 9 शहरों में डेवलपर्स की संख्या लगभग 50 प्रतिशत कम हो गई है और छोटे डेवलपर्स दिवालिया हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्रीज में निवेश की भारी कमी दिख रही है। 2017-18 में निवेश में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आई है। जब नोटबन्दी का असर किसानों पर देखा गया तो पता चला कि अच्छे मानसून के बावजूद भी उनकी आय में कमी आई है। यहां तक कि दूध, अंडा, मछली की खपत में लगभग 20 प्रतिशत की कमी देखी गई है जो कि एक सम्पूर्ण विकास के लिए आहार में आवश्यक हैं।

2. रियल एस्टेट विनियमन विकास अधिनियम 2016 (RERA) सरकार ने इस अधिनियम को लाकर घरेलू खरीददारों की रक्षा करने के साथ-साथ रियल एस्टेट में पूंजी निवेश हो ताकि इस सेक्टर में चहुंमुखी विकास हो पाए। पर पिछले पांच सालों में धरातल पर ऐसा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन और एजेंट रजिस्ट्रेशन में भारी कमी आई है। वहीं कम्प्लेंट रजिस्ट्रेशन में भारी इजाफा हुआ है। RERA का ठीक से क्रियान्वयन न होने के कारण होम बायर्स का विश्वास अभी तक रियल स्टेट सेक्टर जीत नहीं सकी है। वहीं छोटे और मझोले बिल्डर्स हाशिये पर चले गए हैं क्योंकि मार्केट में खरीददार दिख नहीं रहा है। वहीं बने हुए घरों के लिए खरीददार नहीं हैं। ये सभी लोन के मकड़जाल में फंसे हुए हैं। इन सभी बातों का असर अन्य सेक्टरों पर भी पड़ा है। इसके कारण सीमेंट, लोहा, स्टील, शीशा, लकड़ी, फाइबर, प्लास्टिक एवं अन्य वस्तुओं की खपत में भारी गिरावट के कारण लोगों का रोजगार खत्म हो गया है। इस गिरावट से सबसे ज्यादा पेशानी लेबर क्लास और स्वरोजगार पर निर्भर रहने वाले लोगों का हुआ है।

3. जीएसटी (Goods And Services Tax) जीएसटी एक क्रांतिकारी सुधार हो सकता है जो अपने उद्देश्यों से काफी दूर है क्योंकि इसके कार्यान्वयन और टैक्स स्लैब में नीतिगत खामियां हैं। इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में भी अनेक मसलों पर मतभेद हैं जिससे जीएसटी अपने मूल लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई है और आम जनता और व्यापारी पेशान हैं। इन संरचनात्मक सुधारों के साथ-साथ मोनेटरी रिफार्म में भी बदलाव किया गया है जहां RBI को इन्फ्लेशन को 4 प्रतिशत पर स्थिर बनाएं रखना है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब

भारत की इकॉनमी ग्रोथ 10 प्रतिशत के आस पास हो। यह एक अदूरदर्शी सुधार नीति है जिसका खामियाजा भारत के जनमानस को चुकाना पड़ रहा है।

4. ईंधन की नियंत्रणमुक्त कीमत रुपये 2014 से पहले भारत सरकार ईंधन की कीमत नियंत्रित करती थी और प्रत्येक तिमाही पर समीक्षा कर उसका निर्धारण करती थी। 2014 के बाद पेट्रोल और डीजल को डीरिगुलेट किया गया और 2017 से ईंधन की कीमत दैनिक आधार पर तय की जाने लगी। तभी से आयल कम्पनियों ईंधन पर प्राइजिंग इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्राइज, एक्सचेंज रेट, टैक्स स्ट्रक्चर और इनलैंड फ्राइट के आधार पर तय करने लगीं जिसका नतीजा यह हुआ कि प्रत्येक दिन छह बजे सुबह प्राइज रिवाइज होने लगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार सीधे भारत में ईंधन की कीमतों को प्रभावित करने लगा। इस कारण आवश्यक वस्तुओं की लागत बढ़ गई जिससे आम जनता त्राहियाम है।

5. एसेंशियल क्मोडिटी एक्ट 2020 में बदलाव किया गया। यह बदलाव बड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं मुनाफाखोरों को फायदा दे सकता है। इस बदलाव से सरकार कालाबजारी पर रोक तभी लगा सकती है जब क्मोडिटी की कीमत 100 फीसदी बढ़ जाए या फिर युद्ध या अकाल पड़े तभी सरकार फूड क्मोडिटी की कीमत को नियंत्रित करेगी। इस बदलाव के कारण लगभग सभी खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं जिससे आम जनता परेशान है क्योंकि आमदनी है नहीं और खर्च बेतहाशा बढ़ा हुआ है। इस भयावह महंगाई और बेरोजगारी के मकड़जाल से न केवल मानसिक दबाव झेलना पड़ रहा है बल्कि और भी अनेक कठिनाइयों के साथ जीवन यापन करने के लिए विवश है।

6. कोविड 19 कोरोना वायरस ने जीवन के साथ-साथ जीवनयापन के सभी आयामों पर ग्रहण लगा दिया है। लोगों की नौकरी, बिजनेस और सेविंग चले गए हैं। भारत सरकार को नई नीति के साथ सामने आना चाहिए ताकि इकॉनमी को स्थिर किया जा सके। सरकार ने फाइनेंसियल पैकेज की घोषणा की पर यह आम जनता से कोसों दूर है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना काल में दिखी नहीं पर अभी भी सरकार की नींद खुली नहीं है।

सरकार किसानों को साहकारों के हाथों सौंपना चाहती है

आर्थिक प्रस्ताव

राष्ट्रीय जनता दल देश की दयनीय आर्थिक स्थिति और अदूरदर्शिता पर अपनी चिंता व्यक्त करता है। जब हम राजकोषीय सुधार को देखते हैं तो पाते हैं कि मौजूदा सरकार का लक्ष्य था 'सबका साथ सबका विकास' और भारत की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने की थी, पर राजकोषीय सुधार ने लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। नोटबन्दी, असंरचित जी.एस.टी. और कृषि योजनाएं जैसे कि ई-मंडी, फसल बीमा योजना, हर खेत में जल जैसी योजनाएं धरातल पर कहीं दिखी नहीं। इन सुधारों या कृषि योजना ने लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है, महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्राहियाम है। कृषि क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो या सेवा क्षेत्र हो- इन सभी क्षेत्रों में मोनेटरी रिफार्म का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हालत यह है कि मार्केट में डिमांड नहीं है पर इसके बावजूद भी

महंगाई चरम पर है। कृषि क्षेत्र में जो सबसे बड़ी कमी है वह एमएसपी के मूल्यांकन की है, इसके कारण लगभग 25 प्रतिशत से ज्यादा किसानों की कृषि लागत सरकार खा रही है। मौजूदा सरकार ने किसानों को डबल इनकम 2022 तक देने का वादा किया था पर यह भी एक जुमला ही निकला। वहीं दूसरी तरफ सरकार मंडी खत्म कर किसानों को साहकारों के हाथों में सौंपना चाहती है जिसका विरोध किसान संगठनों ने किया और 700 किसानों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। आरजेडी किसान संगठनों के साथ खड़ी है और किसानों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र को देखें तो पाते हैं कि नोटबन्दी, कॉर्पोरेट कर, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट ने अर्थव्यवस्था की नींव ही हिला कर रख दी है। इसके बाद लॉकडाउन ने रही सही कसर पूरी कर दी जिसके कारण दस करोड़ लोगों को नौकरी से हाथ धोना

पड़ा। जो सरकार 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष नौकरी देने की बात करके सत्ता में आई थी वह अब 2024 तक 10 लाख नौकरी देने की बात कर रही है। हम सब जानते हैं कि लगभग 30,00,000 नौकरी तो विभिन्न केंद्रीय संस्थानों में रिक्त पड़ी है। सरकार ने अपना वादा पूरा किया होता तो अभी तक 16 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल चुकी होती। दूसरी तरफ सर्विस क्षेत्र में लगभग 25 प्रतिशत जनता काम कर रही है। इस क्षेत्र पर मौजूदा सरकार की अदूरदर्शिता का असर सबसे ज्यादा दिखा है। 2014 में जो जी.डी.पी. 7.4 प्रतिशत था, उसके बाद लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली है। 2019 में यह 3.7 प्रतिशत हो गयी थी तो 2020 में जी.डी.पी. नेगेटिव 6.6 प्रतिशत हो गयी थी। वहीं कंज्यूमर इम्प्लेशन को आर.बी.आई. ने 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के बीच रखा है जो अभी बढ़कर 7.2 प्रतिशत हो गया है जो कि अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। जब हम रुपए को डॉलर में देखते हैं तो पाते हैं कि पिछले आठ सालों में 20 रुपया टूटा है। राष्ट्रीय जनता दल भारत की आर्थिक नीति पर गहरी चिंता व्यक्त करती है क्योंकि कोई देश ट्रेड डेफिसिट में फंस जाता है तो वह देश और कर्ज लेता है ताकि सप्लाई स्टेट बना रहे। इस दुष्चक्र के कारण महंगाई बढ़ रही है और इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव देश की जनता पर पड़ रहा है। आरजेडी चिंता व्यक्त करती है कि मौजूदा सरकार ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अलविदा कह दिया है। 2014 के बाद नीति आयोग ने 74 सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग की खोज की जिनमें से 26 को बंद किया जाना है तथा अन्य 10 में विनिवेश करना है। इतना ही नहीं चरणबद्ध तरीके से सुचारू रूप से चलने वाली पब्लिक सेक्टर यूनिट को भी बीमारू उपक्रम बनाकर निजी हाथों में बेचा जा रहा है। यह भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ है। दुनिया में शायद ही कोई देश होगा जहां मनपसंद कॉर्पोरेट घरानों को समस्त प्राकृतिक, आर्थिक, व्यावसायिक और मानव संसाधन बांट दिए जाते हों। संविधान निमाताओं ने प्रजातंत्र के प्रजातांत्रिकरण की मूल अवधारणा में राजनीतिक प्रजातांत्रिकरण के बाद सामाजिक-आर्थिक प्रजातांत्रिकरण की बात की थी, इस अवधारणा से कोसों दूर है मौजूदा सरकार।

भारत में सरकारी संपत्ति (पब्लिक सेक्टर) संपदा के भंडार गृह हैं जिसमें जमीन के साथ ही साथ खनिज भी हैं और ये भारत की आर्थिक रीढ़ हैं। इसके बावजूद सरकार सौ प्रतिशत तक विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण कर रही है और आत्मनिर्भर भारत के नाम पर जनता से छलावा कर रही है। चाहे डिफेंस सेक्टर हो या रेलवे, टेलीकॉम हो या नागरिक उड्डयन, सड़क हो या पॉवर, सैटेलाइट हो या पेट्रोलियम, माइनिंग हो या ट्रांसपोर्टेशन, सभी को बारी-बारी बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, कृषि कानून 2020 और नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से नरेंद्र मोदी किसानों और सरकारी विद्यालय एवं महाविद्यालय की जमीन बेचने के साथ-साथ आम जनता के पेट पर लात मार रही है और बच्चों को पढ़ाई से वंचित करना चाहती है। सरकारी संपत्ति की बिक्री से देशवासी विभिन्न प्रकार से प्रभावित होंगे।

1. 2020-21 में ही नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी संपत्ति बेचकर 1.75 लाख करोड़ रुपये इकट्ठे किये जाएं।
2. बीमा कम्पनियों को भी 74 प्रतिशत बेचने का प्रावधान है, एलआईसी को भी बेचा जा रहा है जो 2500 करोड़ डिविडेंड देता है और 6 लाख करोड़ की कमाई करता है। एलआईसी के पास 31 लाख करोड़ के मजे हैं जिसमें जनता की भागीदारी 29 करोड़ की है और इसमें लगभग 13 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। इसके कारण

आम जनता का रोजगार प्रभावित हुआ है और उसकी गाढ़ी कमाई भी बर्बाद हुई है।

3. बैंकों की बिक्री करने से प्राइवेट बैंक, वित्त मंत्रालय और आरबीआई से बच जाएंगे जिसका प्रभाव आम जनता पर होगा क्योंकि गड़बड़ी होने की संभावना बनी रहेगी और जनता की गाढ़ी कमाई का नुकसान होगा।
4. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एंविएशन बाजार है जहां 40 करोड़ मध्यवर्ग अगर एक एयर टिकट एक साल में बुक करें तो इस क्षेत्र में क्रांति आ जायेगी। जहां करोड़ों नौकरियों और बाजार का विस्तार होगा। पर सरकार इस क्षेत्र में नीतिगत बदलाव न करके इसे भी बेच रही है और इस क्षेत्र में भी रोजगार की स्थिति बद से बदतर हुई है।

5. आम जन की सवारी रेलवे जो पूरे भारत को जोड़ती है, उसे भी बेचा जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार रेलवे पर 1 रुपया लगाती है तो 5 रुपये का मुनाफा मिलता है। National Rail Plan(NRP) के मुताबिक 2031 तक सभी ट्रेनों को बेच दिया जाएगा। सभी एसी कोच और 750 रेलवे स्टेशन बेच दिए जाएंगे। सिर्फ सवे फ्रीग्ट पैसेंजर ट्रेन को रेलवे चलाएगी। इस making के माध्यम से पता चला है कि सरकार आम जनता की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की मदद कर रही है। इस पूरी प्रक्रिया में लाखों-लाख नौकरियों खत्म हो जाएंगी। वास्तव में यह एक प्रकार का सांस्कृतिक-सामाजिक हमला है, क्योंकि रेल भारत की जीवन रेखा है जो विभिन्न प्रान्तों और समाजों को जोड़ती है लेकिन निजीकरण के कारण अब यह बेहद खतरे में है। इसके साथ ही यह याद रखा जाना चाहिए कि प्लेटफॉर्म टिकट के दाम भी मासूम जनता की जेब पर बहुत बड़ी मार है जो अब अपनी सीमा लांघ चुका है।

6. कृषि कानून 2020 की लड़ाई खेत और पेट की है जहां सरकार किसानों को अपने ही खेतों में मजदूर बनने के लिए मजबूर कर रही है, वहीं मंडी को खत्म कर एमएसपी हटाने से किसान पूंजीपतियों और बिचैलियों पर आश्रित हो जाएगी जिससे किसानों का दोहन होगा। कान्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिये सिलिंग एक्ट को भी निष्क्रिय कर दिया गया है ताकि आधुनिक भारत में इस कानून के तहत नया जमींदार पैदा किया जा सके। वहीं, कृषि कानून 2020 में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव से पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है क्योंकि अनाज भंडारण की सीमा तय नहीं है। हम देख रहे हैं कि खाद्य पदार्थों के दामों में भारी इजाफा हुआ है जिससे आम जनता त्राहिमाम कर रही है।

7. शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षण संस्थानों को भी बेचने की तैयारी है। इस नीति से निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ाया जा रहा है और सरकारी विश्वविद्यालयों को लोन लेने के लिए कहा जा रहा है जिसका भुगतान वे बिक्री के द्वारा करेंगे।

8. भारत को दुनिया के दूसरे सबसे बड़ा बाजार के रूप में देखा जा रहा है जहा विद्यार्थी को उपभोक्ता माना जा रहा है। इस समस्त शिक्षा नीति में सबसे अधिक गरीब, शोषित और पिछड़ा वर्ग प्रभावित होगा। गरीब के बच्चे स्कूल-कॉलेज न जा पाएं इसकी व्यवस्था की जा रही है।

9. सरकारी संपत्ति को बेचकर देश चलाया जा रहा है जिससे गरीबों, शोषितों और पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ भारत के 96 प्रतिशत आबादी प्रभावित हो रही है।

(पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक द्वारा पढ़ गया पर्चा।)

आपन गांव, आपन माटी

गांव छोड़ब नाहीं, जंगल छोड़ब नाहीं
माई माटी छोड़ब नाहीं, लड़ाई छोड़ब नाहीं।

यह गीत हमारे देश के आदिवासी समाज का सबसे प्रिय गीत है। झारखंड के लोकगायक और गीतकार मधु मंसूरी के इस गीत की गूंज पर हर कोई झूमने लगता है और हर किसी को अपनी माटी व अपने गांव जाने को मन मचलने लगता है। खैर, यहां आदिवासी समाज के बारे में नहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में लिखा जा रहा है, जिन्होंने अपने पैतृक गांव जाने से पहले फेसबुक टाइमलाइन पर 'आपन गांव, आपन माटी' लिखा। दरअसल 10 अगस्त, 2022 को दूसरी बार उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार तेजस्वी जी का अपने पैतृक गांव फुलवरिया जाना हुआ, जो कि गोपालगंज जिला में पड़ता है। कहा जाता है कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसका पैर तो जमीन पर ही रहता है अर्थात् लोग कहीं भी चले जाएं उनकी पहचान के साथ उनकी पैतृक स्मृतियां चिपकी ही रहती है।

24 सितंबर, 2022 को फुलवरिया जाते समय गोपालगंज के मीरगंज नगर के मरछिया चौक पर तेजस्वी यादव ने अपनी दादी मरछिया देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। अपने पैतृक गांव फुलवरिया पहुंचने से पहले तेजस्वी ने थावे मंदिर में जाकर दर्शन किया और उसी परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगभग 600 करोड़ की सौगात गोपालगंज जिला को देने की घोषणा की। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि, "गोपालगंज से मेरा पुराना रिश्ता है, इसलिए यह जिला मेरी प्राथमिकता में है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन सरकार बनी है, वह काम करने के लिए बनी है। यहां आते समय मां-बाबूजी (राबड़ी देवी-लालू प्रसाद) ने गोपालगंजवासियों के लिए मेरे जरिये शुभकामना भेजवाया है, जो आप सभी मीडियाकर्मी बंधुओं के माध्यम से गोपालगंज की जनता के पास प्रेषित करना चाहता हूं। मैं उप मुख्यमंत्री हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने गृह जिला का भी विकास करूं, इसलिए आज आपको बता दूँ कि 600 करोड़ रुपये इस जिले को विशेष रूप से दिया जा रहे हैं। ताकि गोपालगंज का विकास हो सके। गोपालगंज के थावे में 500 करोड़ की लागत से एक नये मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही गोपालगंज सदर अस्पताल को 33 करोड़, 50 लाख, 83 हजार की लागत से मॉडल हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसमें 100 सामान्य बेड तथा 10 आईसीयू बेड की सुविधा होगी।

इस मॉडल हॉस्पिटल का निर्माण सम्भवतः 1926 वर्ग मीटर में होगा। थावे के मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए लगभग 57 करोड़ खर्च दिये जाएंगे, जिसमें 22 करोड़ की लागत से मंदिर पहुंचने वाली सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। गोपालगंज की जनता इस सौगात से गदगद दिखी। एक पत्रकार द्वारा एयरपोर्ट के सवाल पर जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने विपक्षी पार्टी भाजपा को आड़े हाथों लिया



अपने गांव में दादी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते उप मुख्यमंत्री

और सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि, "यह कार्य केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। यदि केन्द्र सरकार एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लेती है तो हमलोग उसका स्वागत करेंगे और भरपूर सहयोग करने का काम करेंगे।

"केंद्र में आठ साल से एनडीए की सरकार है और बिहार सरकार में भी भाजपा शामिल रही है, लेकिन भाजपा के लोगों ने गोपालगंज के लिए कुछ भी नहीं किया क्योंकि यह लालू जी का गृह जिला है। इस जिला में लालू जी का घर होने के कारण भाजपा इस जिला से सौतेला व्यवहार करती है। हम काम करने आये हैं, इसलिए दो माह भी नहीं हुए कि हम यहां आकर 600 करोड़ रुपये के काम की घोषणा कर रहे हैं।"

आगे रोजगार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि, "जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में डेढ़ लाख, शिक्षा विभाग में दो लाख एवं सिपाही में एक लाख लोगों को सरकार बहाल करने जा रही है।" मोदी सरकार को घेरते हुए बताया कि, "मोदी जी तो प्रतिवर्ष दो करोड़ नौकरी देने की बात करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद अब जिक्र भी नहीं करते हैं। महंगाई पर तो भाजपा वाले मुंह भी नहीं खोलते हैं। अमित शाह जी बिहार में सिर्फ झगड़ा लगाने, झंझट फैलाने एवं हिन्दू-मुस्लिम के बीच तनाव पैदा कर दंगा-फसाद कराने आते हैं। बिहारियों से काम की बात बिल्कुल नहीं करते हैं।"

नेपथ्य में जा चुकी व्यवस्था का नवीनीकरण

स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में बैठे अधिकारियों को लगातार प्रिंटर के बजने की आवाज सुनाई दे रही है। कहीं किसी की नियुक्ति हो रही है, कहीं इलाज के बाद खरीदी जाने वाली दवाएं मुफ्त की जा रही है कहीं इंटरशिप बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं फिर से नई बहाली की सुगबुगाहट शुरू हो रही है। बिहार का स्वास्थ्य विभाग हर नये दिन किसी-न-किसी बदलाव का गवाह बन रहा है। महागठबंधन सरकार की वापसी के बाद से ही सारा नजारा बदल चुका है। पुराने लोग बताते हैं, आजादी के बाद बिहार के स्वास्थ्य महकमे में इतनी हलचल इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बिहार के स्वास्थ्य मॉडल को पूरे देश में एक अलग, अनोखी पहचान दिलाने के लिए रात-दिन मेहनत कर रहे हैं। कई अन्य विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही इसे अपनी पहली प्राथमिकता में शामिल किया है। बिहार को लम्बे समय से एक ऐसे ही युवा नेतृत्व की तलाश थी जिसकी आंखों में एक सुनहरे उज्वल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे। एक ऐसे युवा नेता की दरकार थी जो जनता से किए चुनावी वादे निभाने में यकीन रखता हो।

तेजस्वी यादव ने भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़े गैप को भरने की शुरूआत कर दी है। उप मुख्यमंत्री रोज सुबह जनता दरबार लगाते हैं, सारा दिन विभागीय कार्यों में लगे रहते हैं और आधी रात को अस्पतालों के औचक निरीक्षण पर निकल जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालने के कुछ ही दिन बाद तेजस्वी रात को 12 बजे टोपी और मास्क लगाकर पीएमसीएच पहुंच गए थे। इमरजेंसी वार्डों के निरीक्षण के क्रम में उन्होंने टाटा वार्ड स्थित मेडिसिन इमरजेंसी की बदहाल स्थिति देखी। वहां दवा की कमी थी, सीनियर डॉक्टर नहीं थे। अधीक्षक-उपाधीक्षक को तलब किया गया। अस्पताल में गंदगी देखी। अगले दिन स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई। अधिकारियों को स्थिति सुधारने के लिए नोटिस थमा दिया गया, सफाई करने वाली कंपनी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

ये नेपथ्य में जा चुकी व्यवस्था के नवीनीकरण की शुरूआत है। बीते दिनों औचक निरीक्षण के क्रम में तेजस्वी राजधानी पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि डेंगू के मरीज सामान्य मरीजों के साथ रखे गए हैं। मरीजों ने अपने नेता को देखते ही सारी शिकायतें सुना दीं। सुप्रीटेंडेंट विजय कुमार सिंह को तलब किया गया। सुप्रीटेंडेंट साहब को डेंगू वार्ड की जानकारी नहीं थी। पूरा अस्पताल कुव्यवस्था से ग्रसित था। तेजस्वी ने अगले दिन कार्रवाई करते हुए सुप्रीटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया। डॉक्टरों द्वारा कोर्ट जाने की धमकी दी गई। डॉक्टरों का संगठन आईएमए सरकार के विरोध में खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के दबाव बनाने की कोशिश की गई लेकिन तेजस्वी नहीं हिले। वह अपने फैसले से टस-से-मस नहीं हुए। अपने फैसले पर अडिग रहे। बीते दो महीनों में बिहार ऐसे दर्जनों औचक निरीक्षण का गवाह बना है। दवाई-सुनवाई-कार्रवाई के समाजवादी मॉडल ने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में अमूल-चूल बदलाव के लिए मार्ग खोल दिया है। बिहार के सभी अस्पतालों में बेड की व्यवस्था से



लेकर डॉक्टर और दवाई तक की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। बीते महीने तेजस्वी आरा मेंटल हॉस्पिटल के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही 60 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी। उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश जी ने भी बड़ा वादा किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, "जिस तरह राज्य के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा रहा है वैसे ही बिहार के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। सरकार बनने के दो महीने के अंदर ही गोपालगंज के थावे में 500 करोड़ की लागत में बनने वाले मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। गोपालगंज सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने के लिए 33 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अलावा बक्सर और बेगूसराय में 1030 करोड़ की लागत में बनने वाले मेडिकल कॉलेज बनने हैं। एक ही दिन में 9469 स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र दी गई है। इसी क्रम में एक निजी अनुभव साझा कर रहा हूं। बीते दिनों मेरे एक मित्र के चाचा जी को आईजीआईएमएस के इमरजेंसी वार्ड में बेड की आवश्यकता थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन बेड मुहैया कराने में सहयोग नहीं कर रहा था। ट्विटर के माध्यम से मैंने तेजस्वी जी को टैग कर के मदद मांगी। 10 मिनट के भीतर उनका रिप्लाई आया, "मरीज के परिजनों से बात हो गई है, उन्हें बेड मिल गया है। आगे कोई भी समस्या होगी तो बताइए।" मरीज को बेड मिल गया था। एक आम नागरिक के ट्वीट का संज्ञान लेकर अस्पताल प्रबंधन को उसकी गंभीरता से अवगत कराना इस बात को समझने के लिए काफी है कि तेजस्वी का स्वास्थ्य मॉडल बिहार को किस ऊंचाई तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब वह समय आ चुका है जब कराहते हुए पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस जैसे राष्ट्रीय स्तर के बड़े अस्पतालों की स्थिति में बदलाव होगा। बिहार की आवाम को उनके गृह जिले में मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिलेगी। तेजस्वी का समाजवादी स्वास्थ्य मॉडल पूरे देश में छाने के लिए तैयार हो चुका है।

(लेखक जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मास मीडिया के छात्र हैं।)

अपनी वचनबद्धता पर खरे उतर रहे युवा नेता

बिहार में अगस्त महीने की शुरुआत में राजनीतिक उथल-पुथल हुआ और भाजपा को छोड़ सारी पार्टियां एक साथ आई अर्थात् सत्ता में शामिल भाजपा विपक्षी पार्टी बनी और मुख्य विपक्षी पार्टी राजद समेत सभी विपक्षी पार्टियां सत्ता में शामिल हुईं। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई एवं कार्रवाई जैसे मुद्दों की राजनीति करने वाले लोकप्रिय युवा नेता तेजस्वी यादव ने 10 अगस्त को उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। उप मुख्यमंत्री के साथ ही तेजस्वी प्रसाद यादव कई विभागों के मंत्री भी बने। बिहार में स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने की हमेशा मांग होती रहती है क्योंकि आबादी के अनुपात में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और जो है उसमें भी लापरवाही की शिकायतें मिलती रहती हैं। महागठबंधन सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव अपने कमिटेमेंट को लेकर सजग हुए।

06 सितम्बर, 2022 को रात 12 बजे रात में उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री पीएमसीएच में औचक निरीक्षण करने चले गए। विदित हो कि बिहार की राजधानी पटना स्थित एन.एम.सी.एच राज्य का प्रतिष्ठित अस्पताल है। डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी और अस्पताल में उचित व्यवस्था नहीं थी। मेडिकल सुपरिटेण्डेंट को तुरंत बुलाया गया और उन्हें डेंगू वार्ड दिखाने को कहा गया तो पता चला कि साहब को खुद ही पता नहीं है कि डेंगू वार्ड है किधर। सुपरिटेण्डेंट को लापरवाही का हजाना भुगतना पड़ा और उन्हें स्वास्थ्य मंत्री द्वारा निलंबित किया गया। इसके बाद डॉक्टरों के बीच अफरा-तफरी मच गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) सुपरिटेण्डेंट के साथ खड़ा हुआ और उसके द्वारा निलंबन को चुनौती देने के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री को ही चेतावनी दिया जाने लगा, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि एन.एम.सी.एच. के मेडिकल सुपरिटेण्डेंट को यह पता नहीं है कि अस्पताल में डेंगू वार्ड कहां है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही साफतौर पर झलक रही है। इतना ही नहीं उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जिसको जहां जाना है जाए, हम जनता के लिए हैं और जनता ने हमें चुना है। जो ईमानदार है उसे नवाजा जाएगा और जो बेईमान होगा और अपनी ड्यूटी नहीं करेगा, उसे सजा मिलेगी। साथ ही आई.एम.ए. की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि वर्षों से सैकड़ों डॉक्टर ड्यूटी नहीं जाते हैं, लेकिन आई.एम.ए. उस पर कभी कुछ नहीं बोला।

औचक निरीक्षण के उपरांत अगले दिन 07 सितम्बर, 2022 को पटना के ज्ञान भवन परिसर में स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की गई जिसमें 'मिशन-60' के तहत 60 दिनों में सभी सरकारी अस्पतालों का कार्याकल्प करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि 60 दिनों में सभी सदर अस्पताल तथा बड़े अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। अस्पताल परिसर में सभी स्तर के कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने का निर्देश दिया गया। अस्पताल में लोगों के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था एवं



साफ-सफाई के लिए निर्देश दिया गया, उसके बाद कई अस्पतालों में तेजी से रंगाई-पोताई का भी काम शुरू हो गया। जिले के सदर अस्पताल एवं बड़े अस्पतालों में 24 घण्टे उचित स्टाफ के साथ हेल्प डेस्क एवं कम्प्लेन डेस्क स्थापित करने का भी आदेश दिया गया, जिसमें मरीजों के भर्ती होने से लेकर, एम्बुलेंस, लेबर रूम, इमरजेंसी, ओपीडी, शव वाहन और रेफरल को सहज एवं सरल सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया गया है। अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार ने बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया और बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद डॉक्टर सरकार के विरोध में आ गये। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ (बीएचएसए) के आह्वान पर 06 अक्टूबर को पूरे बिहार में बायोमेट्रिक अटेंडेंस के खिलाफ सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर रहे, इस कारण सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों सह अस्पतालों, मुख्य जिला अस्पतालों और ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं, लेकिन सरकार अपने फैसले पर कायम है। स्वास्थ्य विभाग महागठबंधन सरकार की प्राथमिकता है।

स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए विभाग तेजी से कार्य कर रहा है। अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा तीन मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का शिलान्यास किया गया है। 24 सितम्बर, 2022 को अपने गृह जिला गोपालगंज के थावे में स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने 500 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल और गोपालगंज के सदर अस्पताल में 33.5 करोड़ की लागत से बनने वाले मॉडल अस्पताल का शिलान्यास किया। मॉडल हॉस्पिटल में 100 बेड तथा 10 आईसीयू बेड की सुविधा मिल सकेगी। 21 अक्टूबर, 2022 को बापू सभागार, गांधी मैदान, पटना से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, डुमरांव, बक्सर तथा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय का शिलान्यास किया गया। दोनों को बनाने में लागत 1030 (515+515) करोड़ रुपये आएगी। विदित हो कि तीनों मेडिकल

कॉलेज एवं अस्पताल में 100-100 एमबीबीएस विद्यार्थियों का नामांकन हो सकेगा और आम लोगों को इलाज के लिए 500-500 बेड वाले अस्पताल की सुविधा भी मिलेगी। उसी दिन बापू सभागार से मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री ने 224.29 करोड़ की लागत से बने योजनाओं का उद्घाटन भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का शुभारंभ भी किया गया।

बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर मुखरता से बात रखने वाले तेजस्वी यादव महागठबंधन सरकार बनने के बाद से 10 लाख रोजगार देने की बात दुहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 15 अगस्त को गांधी मैदान में अपने सम्बोधन के दौरान 10 लाख रोजगार देने की बात कही और साथ ही 10 लाख अलग से रोजगार सृजन की बात कही। महागठबंधन सरकार बनने के बाद से बिहार में नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला जारी है, इसी कड़ी में 21 अक्टूबर, 2022 को बापू सभागार में 9469 चयनित स्वास्थ्य कर्मियों को मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्त पत्र वितरित किये गए। मजेदार बात यह है कि दिन-रात साम्प्रदायिकता को हवा देने वाले लोग भी बिहार सरकार को नकल कर नियुक्ति पत्र बांटने की बात करने लगे हैं। यह तेजस्वी यादव की ही सफलता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां बेरोजगारी पर बात करने को मजबूर हुई हैं वरना करोड़ों रोजगार का वादा करके सत्ता में आने के बाद भाजपा रोजगार देने की बजाय रोजगार छिनने में लग गई।

वर्तमान में सरकार व स्वास्थ्य विभाग के लिए 'डेंगू' एक चुनौती है। फिलहाल मरीजों की संख्या में घटोत्तरी शुरू हो गई है। पिछले माह तो डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा था। 16 अक्टूबर, 2022 को राजधानी पटना के गांधी मैदान में नगर निगम के 513 फॉर्गिंग वाहनों को तेजस्वी यादव ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। पटना नगर निगम की विशेष योजना के तहत एक-एक वार्ड में तीन-तीन बार फॉर्गिंग करने करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने चुनौती का डंटकर सामना किया है और स्थिति लगभग कंट्रोल में है। यदि इसी तरह सक्रियता के साथ स्वास्थ्य विभाग व सरकार काम करती रही तो शीघ्र स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिल सकता है।

व्याख्यान

पी. साईनाथ


तर्कशील और समतामूलक गणतंत्र के निर्माण के लिए उन्माद और तर्कशून्यता को परास्त करें

असमानता आज देश की सबसे बड़ी समस्या है। आज यह अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गई है। वर्तमान में देश में जैसी असमानता दिखाई दे रही है वह इतिहास में दर्ज दो असमानताओं जैसी है। पहला, ब्रिटिश राज की बुलंदी के दौर के 1921 की असमानता और दूसरा, 1970 के दशक में वैश्विक स्तर पर मौजूद असमानता। औपनिवेशिक दौर की असमानता एक दूसरी कहानी है, लेकिन आजाद भारत में कभी ऐसी असमानता पैदा नहीं हुई। साल 1991, जब नई आर्थिक नीति लागू की गई, उससे पहले भी असमानता थी लेकिन 1991 के पहले और बाद की असमानता में बहुत बड़ा फर्क है। 1991 से पहले की असमानता का जैसा विवरण 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में बी.आर.आंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया, असमानता पर वैसा शानदार भाषण और किसी ने भारत के किसी भी निर्वाचित सदन में नहीं दिया है। अपने भाषण में आंबेडकर ने कहा कि आज हम विरोधाभासों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जहां राजनीतिक लोकतंत्र है, लेकिन आर्थिक और समाजिक लोकतंत्र नहीं है और इन विरोधाभासों के बीच एक दिन राजनीतिक लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। 73 साल पहले कही गई बात आज के भारत के लिए भी बिल्कुल सही है।

डॉलर अरबपतियों में उछाल

आजादी के बाद 1991 तक तमाम विफलताओं के बावजूद इस असमानता को कम करने के लिए कुछ नीतिगत प्रयास हुए। खासकर 1956 से 1980 के बीच आर्थिक असमानता थोड़ी घटी। 1991 के बाद गरीब से अमीर की ओर संसाधनों का हस्तांतरण तेज हुआ और महामारी के सालों के दौरान इसकी गति सबसे तेज रही। 1991 के बाद, नीतियों द्वारा संचालित असमानता आई जो एक योजनाबद्ध और ढांचागत असमानता है। इस असमानता को समझाने के लिए मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूँ। पूंजीपति वर्ग का बाइबिल माना जाने वाला फोर्ब्स मैगजीन हर साल हर देश के डॉलर अरबपतियों की सूची जारी करता है। दिलचस्प यह कि यह सूची हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को जारी की जाती है। 1991 में, यानी जिस साल दुनिया ने नव-उदारवाद को गले लगाया गया, उससे पहले भारत में कोई भी डॉलर अरबपति नहीं था। 1991 में नई नीतियों के जरिए योजनाबद्ध असमानता पैदा की गई।

बाबा साहेब ने भारत की असमानता को श्रेणीबद्ध असमानता कहा था, जाति आधारित असमानता कहा था और यह बात आज भी सही है। लेकिन 1991 के बाद यह हुआ कि तब मौजूद असमानताएं तो खत्म नहीं हुईं, लेकिन लिंग, जाति और वर्ग पर आधारित असमानताएं और चौड़ी हो गईं तथा साथ-साथ योजनाबद्ध असमानता शुरू हुई। 1991 में भारत में डॉलर अरबपति शून्य थे लेकिन 2008 तक देश में 12 ऐसे अरबपति पैदा हो गए। 1991 के बाद के पहले दो दशकों के दौरान भारत में नये डॉलर अरबपति पैदा होने की रफ्तार थोड़ी धीमी रही क्योंकि मध्यम वर्ग और कामगार वर्ग की ओर से प्रतिरोध



पी. साईनाथ : भारत के ग्रामीण जीवन की विश्वस्त आवाज

भी था। साल 2012, जिस साल देश में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना शुरू हुई, उस साल अरबपति की संख्या बढ़कर 53 पहुंच गई। 2020 में पहले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से 15 दिन पूर्व जारी सूची में भारत के 98 डॉलर अरबपति का नाम था। इस लॉकडाउन के बाद के बारह महीने के दौरान भारत में कुल 42 नये डॉलर अरबपति पैदा हुए और 24 महीनों के दौरान भारत में कुल 68 नए डॉलर अरबपति हुए जबकि इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ढह गया। यानी महामारी के पहले साल में हर नौवें दिन भारत ने एक नया डॉलर अरबपति पैदा किया जबकि सरकार का कहना है कि इस दौरान राष्ट्रीय जीडीपी में 7.7% की कमी दर्ज की गई। 1960 के बाद आजाद भारत में सबसे बुरे साल 2020 में हमने 42 नए अरबपति पैदा किए। बीते 20 साल में जितने नए अरबपति पैदा नहीं हुए थे उतने सिर्फ बीते 2 सालों में तैयार हो गए। डॉलर अरबपतियों की संख्या में हम टॉप 3 देशों में शामिल हो गए हैं। इस सूची में हम चीन और रूस से आगे हैं। लेकिन हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101 नंबर पर हैं। कुल 116 देशों का हंगर रिकॉर्ड किया जाता है यानी भूख को व्यापक रूप से मापा जाता है और उन पर नजर रखी जाती है। इस इंडेक्स में हम 101 नंबर पर हैं। कभी इस इंडेक्स में हमारा नंबर 84 था। एनवायरनमेंट परफॉरमेंस इंडेक्स में हमारा स्थान सबसे नीचे है। इस सूचकांक में 180 देशों में हमारा स्थान सबसे नीचे यानी 180वां है।

और ये अरबपति जिन सेक्टर से सामने आये उनका आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। हाई स्कूल के विद्यार्थी भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। वास्तव में मैंने एक अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में विद्यार्थियों से ऐसा अनुमान लगाने के लिए कहा तो हरेक ने हेल्थकेयर सेक्टर का नाम लिया। उनका अनुमान सही था। नए बने 68 अरबपतियों में सबसे ज्यादा हेल्थकेयर सेक्टर से हैं। वैसे हेल्थकेयर सेक्टर को कमर्शियल बिग फार्मा सेक्टर कहना सही होगा क्योंकि वे कोई केयर यानी देख-भाल तो करते नहीं हैं। फार्मा सेक्टर के बाद आईटी और ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में उछाल देखा गया। हम सभी ने देखा कि महामारी के 2 वर्षों में सांस्थानिक शिक्षा बुरी तरह प्रभावित रही, सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा की न के बराबर सुविधा थी। बहुत सारे छोटे बच्चे पढ़ना-लिखना भूल गए। हमारे रिपोर्टर्स ने पाया कि ग्रामीण महाराष्ट्र में ऐसा एक भी दलित परिवार नहीं था जिनके पास पर्सनल स्मार्टफोन हो। दलित परिवारों की लड़कियां, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा थी, उनमें से किसी के पास पर्सनल स्मार्टफोन नहीं थे। शहरी भारत में भी ऐसे दलित परिवारों की संख्या कम नहीं होगी। इन दो सालों ने हमारे हाशिए के तबके का बहुत ज्यादा वंचितकरण किया है लेकिन वहीं इन 2 सालों में बाईजूस की व्यक्तिगत संपत्ति दोगुनी हो गई। दरअसल सिर्फ बाईजूस ही नहीं, पिछले 12 महीने में देश के 166 अरबपति की कुल धन-संपत्ति दोगुनी हो गई जो कि करीब 800 अरब डॉलर है। मार्च, 2021 में उनकी संयुक्त धन-संपत्ति का मूल्य भारत के जीडीपी का कुल 27% था। 1.4 अरब की आबादी में 166 व्यक्ति अरबपति जो 0.000014% के बराबर हैं और सिर्फ इन 166 व्यक्तियों की कुल धन-संपत्ति भारत के जीडीपी के 27% के बराबर है। मैंने अपने रिपोर्टिंग जीवन के 32 सालों में ऐसी कपटपूर्ण असमानता आज तक नहीं देखी।

किसानों और कामगारों की योजनाबद्ध लूट

महामारी के पहले 12 महीनों में जब देश की जीडीपी 7.7% घट गई, आपको यह जानकार खुशी होगी कि तब भी इस देश में हर कोई प्रभावित नहीं हुआ। इस दौरान अंबानी की निजी संपत्ति में 129 प्रतिशत और अडानी के संपत्ति में 467 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यह 2021 तक की बात है। इसके बाद अडानी के विकास को मापना भी मुश्किल है। इन 166 डॉलर अरबपतियों में से टॉप 10 अपने ठीक बाद के कुल 100 डॉलर अरबपतियों से धनी हैं और टॉप 5 अपने ठीक बाद के कुल 50 डॉलर अरबपतियों से धनी हैं। और ये महज संयोग है कि टॉप 5 में शामिल सभी गुजराती हैं, बहुत ही मेहनती गुजराती हैं। इन 166 डॉलर अरबपतियों की 800 अरब डॉलर की कुल संपत्ति पर अगर 10% संपत्ति कर (वेलथ टैक्स) लगा दिया जाए तो इससे मिले पैसे से 20 वर्षों तक मनरेगा चलाया जा सकता है। इस टैक्स से देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की आधारभूत संरचना को पुनर्जीवित किया जा सकता है जिसके निर्माण पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण के जरिये 50 और 60 के दशक में गंभीरता दिखाई गई थी। और 2-3 राज्यों में यह गंभीरता अभी भी दिखाई देती है।

योजनाबद्ध असमानता लाने का मैं एक और उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। 1991 से किसानों को योजनाबद्ध तरीके से लूटा जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी सरकार की सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक है। इसे किसानों के लिए चलाई जा रही दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना बताया जाता है। इस योजना में बीमा के लिए प्रीमियम प्रति किसान लिया जाता है मगर मुआवजा का आकलन सामूहिक रूप से किया जाता है, इससे ज्यादातर फायदा बड़े किसानों को होता है। इस योजना की कमियों को देखते हुए करीब 8-9 राज्य इस योजना से बाहर निकल चुके हैं जिनमें सबसे पहला राज्य गुजरात था। इस योजना के पहले 24 महीनों में 5 सार्वजनिक बीमा कंपनियों को घाटा हुआ जबकि 13 निजी कंपनियों को करीब 16 हजार करोड़ का फायदा हुआ। यानी कि इन निजी कंपनियों की हर रोज करीब 21 करोड़ की आमदनी हुई। यह योजनाबद्ध और ढांचागत लूट का एक और उदाहरण है जिसके कारण आज देश में ऐसी असमानता है।

सिर्फ किसानों के लिए काले कानून नहीं बनाये और लाये जा रहे हैं बल्कि देश में लोकतंत्र को बर्बाद करने, हर एक नागरिक के अधिकारों को खत्म करने के लिए अलग-अलग कानून लाये जा रहे हैं। ऐसे कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जो नागरिकों को कानूनी रूप से प्रतिकार करने, कानूनी राहत पाने के अधिकार से वंचित करते हैं। ऐसा कानून लागू कर दिए गए हैं जिनके मुताबिक 'नेकनीयती' से काम करनेवाले को लोक सेवक माना जाएगा। कर्नाटक के गौ-हत्या रोकने संबंधी कानून में ऐसे प्रावधान हैं अर्थात् गौ हत्या के रोकने के नाम पर आतंक मचाने वाले बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता अब लोक सेवक माने जाएंगे और उनको कानूनी संरक्षण मिलेगा।

और जब असमानता इस स्तर पर पहुंच गई तो इसका असर हर क्षेत्र-कृषि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य-पर पड़ा जिसके सबसे गंभीर परिणाम सामने आये। असमानता का एक और प्रकटीकरण कामगार वर्ग पर हो रहे जबरदस्त हमले के रूप में सामने आ रहा है। महामारी शुरू होने के दो महीने के अंदर उत्तर प्रदेश और गुजरात ने करीब 35 से 40 श्रम कानूनों को स्थगित कर दिया जिनमें श्रमजीवी पत्रकारों अधिनियम

‘ जब असमानता इस स्तर पर पहुंच गई तो इसका असर हर क्षेत्र- कृषि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य-पर पड़ा जिसके सबसे गंभीर परिणाम सामने आये। असमानता का एक और प्रकटीकरण कामगार वर्ग पर हो रहे जबरदस्त हमले के रूप में सामने आ रहा है। महामारी शुरू होने के दो महीने के अंदर उत्तर प्रदेश और गुजरात ने करीब 35 से 40 श्रम कानूनों को स्थगित कर दिया जिनमें श्रमजीवी पत्रकारों का अधिनियम भी शामिल है। देल्ही यूनिन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने अदालत को बताया है कि महामारी शुरू होने से आज तक करीब 3 हजार से ज्यादा पत्रकारों को काम से निकाल दिया गया जबकि मीडिया को प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च 2020 को आवश्यक सेवा घोषित किया था। भला जबकि मीडिया को प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च 2020 को आवश्यक सेवा घोषित किया था। भला ऐसी आवश्यक सेवा से 3 हजार लोगों को निकाला जा सकता है? ’

शामिल है। देल्ही यूनिन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने अदालत को बताया है कि महामारी शुरू होने से आज तक करीब 3 हजार से ज्यादा पत्रकारों को काम से निकाल दिया गया जबकि मीडिया को प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च 2020 को आवश्यक सेवा घोषित किया था। भला ऐसी आवश्यक सेवा से 3 हजार लोगों को निकाला जा सकता है?

कॉरपोरेट मीडिया का पाखंड और पक्षपात

वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 182 देशों में हम 150वें स्थान पर हैं, कभी इसमें हमारा स्थान 94 था। 1991 के बाद के 30 से अधिक सालों के दौरान मीडिया पर भी बहुत असर पड़ा है। इस साल 12 अप्रैल को भारत में मीडिया की स्थापना के 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1812 में राजा राम मोहन रॉय ने ‘ब्रह्ममैनिक्ल मैगजीन’ और ‘संवाद कौमुदी’ शुरू की थी। तब की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता देख लीजिये। इसे कृषि कानूनों के संदर्भ में हुई पत्रकारिता के जरिए समझिए। पंजाब से बाहर के किसी भी बड़े व्यावसायिक कॉरपोरेट मीडिया हाउस या चैनल ने अपने संपादकीय में इन काले कानूनों को वापस लेने की मांग नहीं की। साहसी पत्रकारिता का टैग लाइन इस्तेमाल करने वाले इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार तक ने ऐसा किया। इस अखबार और कुछ दूसरे अखबारों ने एक रणनीति अपनाते हुए लिखा कि यह मानना पड़ेगा कि सरकार ने किसानों के साथ सही व्यवहार नहीं किया, उन्हें समझा नहीं पाई लेकिन इस अच्छे कानून को रहना चाहिए। यह कॉरपोरेट मीडिया का पाखंड था। कॉरपोरेट मीडिया हाउस ने कृषि कानूनों का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि जिन कॉरपोरेट घरानों को कृषि कानूनों से फायदा होता वही कॉरपोरेट मीडिया संस्थानों के मालिक भी हैं। जैसे कि अंबानी के हाथ में जितने मीडिया चैनल हैं यह उनको भी शायद नहीं पता? भारत में मीडिया के सबसे बड़े मालिक अंबानी और अडानी खुद भी नहीं जानते कि वे कितने सारे मीडिया ग्रुप और कंपनी के मालिक हैं। दिल्ली की सरहद पर धरना दे रहे किसानों का हर दूसरा नारा कृषि कानूनों से लाभान्वित होने वाले अंबानी और अडानी के विरोध में था लेकिन ये नारे आमतौर पर मीडिया में नहीं सुनाई-दिखाई दिए क्योंकि यही दोनों ज्यादातर कॉरपोरेट मीडिया संस्थानों के मालिक हैं। और जिन कॉरपोरेट मीडिया संस्थानों के ये मालिक नहीं हैं उनमें से सबसे बड़े निजी विज्ञापनदाता हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कौन झगड़ा मोल लेता।

मार्च 2021 में अंबानी और अडानी की संयुक्त संपत्ति 128 अरब

डॉलर थी और अंबानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति थे जिनकी कुल सम्पत्ति 84.5 अरब डॉलर थी। दिलचस्प यह कि पंजाब का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) इस दौरान 85.5 अरब डॉलर था। जब एक ओर पूरे देश की अर्थव्यवस्था घटी वहीं अंबानी की संपत्ति 129 प्रतिशत की दर से बढ़ी। आज अडानी की निजी संपत्ति 116 अरब डॉलर है और हरियाणा की जीएसडीपी 105 अरब डॉलर है। अंबानी और अडानी की कुल संपत्ति 216 अरब डॉलर है जो कि हरियाणा एवं पंजाब के संयुक्त जीएसडीपी से ज्यादा है। देश में अभी इस स्तर की असमानता है। कौन-सा समाज इस स्तर की असमानता में लगातार बचा रह सकता है लेकिन हमारा समाज ऐसा कर रहा है।

मानव विकास सूचकांक में फिसड्डी

मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में 180 देशों में से हमारा स्थान 131वां है। हर लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देश और कुछ अफ्रीकी देश भी हमसे ऊपर हैं। वहीं श्रीलंका जिसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है, सिविल वॉर चला है, फिर भी वह एचडीआई में भारत से 20 अंक ऊपर है। इसका नाम है असामनता। इस असामनता से केवल आर्थिक बराबरी नहीं विशाल हो रही है, केवल कृषि संकट ही नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ दमन नहीं बढ़ रहा है बल्कि इससे कट्टरता और धार्मिक-सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है। ये असामनता का प्रकटीकरण है। और धार्मिक कट्टरवादियों के निशाने पर हर धर्मनिरपेक्षतावादी नहीं हैं, बल्कि हर तर्कवादी (रेशनलिस्ट) को निशाना बनाया जा रहा है। नरेन्द्र दाभोलकर, गोविंद पानसारे, गौरी लंकेश, डॉक्टर एमएम कलबुर्गी- ये सब तर्कवादी थे। धार्मिक कट्टरवादी धर्मनिरपेक्ष लोगों से उतना नहीं डरते जितना तर्कवादियों से डरते हैं। ऐसे में हमारे सामने दो विकल्प हैं - हम तर्कशील गणतंत्र चुनें या हम उन्मादपूर्ण तर्कशून्य गणतंत्र चुनें। आज हर दिन उन्माद और तर्कशून्यता जीत रही है। हम इस असामनता से कैसे लड़ेंगे, यह बड़ी चुनौती है।

इस असमानता का मुकाबला कैसे करें। इसके लिए हमें लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिरोध करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम फासिस्ट ताकतों की मदद कर रहे हैं।

(20 सितंबर, 2022 को पटना में पुनश्च द्वारा आयोजित चंद्रशेखर व्याख्यानमाला में लेखक द्वारा दिए गए भाषण का सम्पादित अंश।)

प्रस्तोता: मनीष शांडिल्य

भारतीय कला की अनुपम कृति : दीदारगंज की यक्षिणी


भारतीय कला का इतिहास मौर्यकाल से शुरू होता है और मौर्यकालीन कला प्रकारांतर से मगध कला का ही इतिहास है। शुरूआत में मगध की राजधानी राजगृह थी, जो बाद में पोलिब्रोथ (पाटलिपुत्र) स्थानांतरित हो गई थी। मौर्यकाल के दौरान तत्कालीन पोलिब्रोथ (पाटलिपुत्र) में बड़ी संख्या में मूर्तिकार थे और यह नगर पाषाण मूर्तियों के केन्द्र के रूप में विख्यात हो चुका था। गुप्त-कला भी मगध के गुप्त सम्राटों के संरक्षण में विकसित हुई और उसका भारत के बाहर भी प्रसार हुआ। गुप्त साम्राज्य की अवनति के बाद पाल शैली का विकास हुआ। पाल-साम्राज्य के समय में भारतीय कला नई दिशाओं में उन्मुख हुई। पाल शैली पर भी मगध (बिहार) का ही आधिपत्य रहा। पाल-काल (8-11 शती ई.) के सुविख्यात मूर्तिकार धीमन और उनका पुत्र वित्पालो नालन्दा के रहने वाले थे। उन दिनों चीन, जापान और वर्मा इत्यादि देशों के मूर्तिकार मूर्ति-विज्ञान की तलाश में नालन्दा आते थे और इनसे शिक्षा पाकर खुद को धन्य मानते थे। मूर्तिकला के क्षेत्र में बिहार की यह स्थिति कमोबेश मध्यकाल तक बनी रही। जाहिर है कि उस दौरान बिहार में असंख्य मूर्तियों का निर्माण हुआ, जिसमें से अनेकों को राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। उन मूर्तियों में पटना के दीदारगंज से प्राप्त और बिहार संग्रहालय में संरक्षित यक्षिणी को सर्वाधिक प्रसिद्धि हासिल है। अपने अतुलनीय सौंदर्य के साथ यक्षिणी की यह प्रतिमा आदर्श नारी के प्रतीक रूप में विश्व-प्रसिद्ध तो है ही, भारतीय कला की एक अनुपम कृति के रूप में भी स्थापित है। यक्षिणी के प्रकाश में आने की कहानी काफी रोचक है। चुनार (उत्तर प्रदेश) से लाये गए बादामी रंग के बलुआ पत्थर को तराश कर बनायी गयी यक्षिणी की चमकदार प्रतिमा 18 अक्टूबर, 1917 को पूर्वी पटना के दीदारगंज स्थित गंगा तट पर उल्टी पड़ी मिली थी। स्थानीय धोबी इसके तल की सतह का इस्तेमाल कपड़ा धोने के पाट के रूप में करते थे। एक दिन धोबी वहां कपड़े की धुलाई कर रहे थे, तभी एक सांप पास के बिल में घुस गया। जब उसे मारने के लिए वहां की खुदाई की गई तो पाट की सतह के सीधे रूप में यक्षिणी की वह मूर्ति थी। काजी मुहम्मद अजीमुल उर्फ गुलाम रसूल पिता-मौलवी काजी सईद मुहम्मद अजीमुल उर्फ गुलाम मोहीउदीन ने 20 अक्टूबर, 1917 को मूर्ति मिलने की रिपोर्ट स्थानीय मालसलामी थाना में दर्ज करायी। यक्षिणी लगभग डेढ़-दो महीनों तक स्थानीय लोगों के पास पड़ी रही। बाद में पुलिस-प्रशासन हरकत में आई और मूर्ति को कब्जे में लेकर 17 दिसम्बर, 1917 को पटना संग्रहालय के हवाले कर दिया। यक्षिणी करीब सौ साल तक पटना संग्रहालय में रही। 27 सितम्बर, 2017 को वह बिहार म्यूजियम में चली आयी।

भारत के प्राचीन धर्म-ग्रन्थों और उनसे संबंधित भारतीय कला में यक्षों की मान्यता और पूजा के वर्णन हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक 'संस्कृति के चार अध्याय' में लिखा है कि पुराणों में यक्ष, राक्षस, नाग, किरात, गन्धर्व आदि का जो उल्लेख है, वह स्पष्ट ही आर्येतर जातियों के अस्तित्व की सूचना देता है। पुराणों के अनुसार देवी-देवताओं की अपेक्षा यक्ष-यक्षिणियाँ और असुरों का प्राचीन होना अधिक संभव दिखता

है। इससे यह भी सूचित होता है कि भारत के आर्यों से भिन्न और भी बहुत से लोग थे, जिनके मौखिक साहित्य और पूजा-अर्चना का समावेश पुराणों में हुआ है। कला इतिहासकार डॉ. आनन्द कुमार स्वामी का भी मानना है कि देवी-देवता का स्वरूप मानकर पूजा करने की परम्परा के पहले से ही गांवों में यक्ष पूजा का प्रचलन था। यज्ञ मूर्तियाँ पुरुष के बराबर या कभी-कभी और भी बड़ी होती थी। यक्ष पूजा की परम्परा का उन्मेष सिंधु-सभ्यता युग में दृष्टिगत होता है, जो तीसरी-चौथी सदी ई. पूर्व तक ले जाती है।

यक्षों का उल्लेख भारत के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में भी है। यक्षों के राजा कुबेर हैं। इस मायने में यक्षिणी यक्ष की पत्नी हुई। यह भी मान्यता है कि यक्ष वृक्षों के देवता थे और यक्षिणी उपज की देवी। इनकी मूर्तियों खुले आसमान के नीचे बिना किसी आच्छादन के खड़ी कर दी जाती थी। यक्ष-यक्षिणियाँ पुण्य का भी प्रतीक मानी गयीं। धर्मशास्त्रों में गोमुख, महायज्ञ, अग्निपाणि, त्रिमुख, यक्षेश्वर, दंडपाणि, किन्नर, गंधर्व, कुबेर समेत कुल 24 यक्षों का वर्णन है। वही विचित्रा, विभ्रमा, भीषणी, विशाला, महामया, शंखिनी, लक्ष्मी, मालिनी, कामेश्वरी, कपालिनी समेत कुल 36 प्रकार की यक्षिणियों का उल्लेख है। यक्षों की भांति यक्षिणियाँ भी अतीव सामर्थ्यवाली, माया से परे तथा सुन्दर रूपवाली मानी गई हैं। भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में अष्ट यक्षिणियाँ साधना का भी घटक हैं। अष्ट यक्षिणियाँ हैं - सुर सुन्दरी, मनोहारिणी, कनकावती, कामेश्वरी, रति प्रिया, पद्मिनी, नरी और अनुरागिनी। जैन धर्म में मान्यता है कि प्रत्येक तीर्थंकर की सेवा के लिए यक्ष और यक्षिणी होते थे। उन्हें सहायक देव मानते हुए गन्धर्व तथा विद्याधर की श्रेणी में रखा जाता था।

आनन्द कुमार स्वामी ने 'यज्ञ' नामक पुस्तक में लिखा है कि प्राचीन काल में बड़े-बड़े नगरों में प्रसिद्ध यक्ष मंदिर थे। जैसे कपिलवस्तु में शाक्यवर्धन यक्ष का मंदिर था, जहां सिद्धार्थ के माता-पिता उन्हें लेकर पूजा के लिए



दीदारगंज की यक्षिणी की प्रतिमा

जाते थे। वैशाली नगर के बाहर विशाल नामक यक्ष का मंदिर था। पाटलिपुत्र में पुराणा नामक यक्षी का मंदिर था। गया में शुचिलोक यक्ष का मंदिर था। जैनग्रन्थ सूर्य प्रज्ञप्ति के अनुसार, मिथिला नगरी के बाहर मणिभद्र नामक यक्ष का चैत्य था, जहाँ पूजा-अर्चना के लिए अमीर-गरीब सब इकट्ठे होते थे।

जानकारों का मानना है कि सामान्य मानवीय गुणों से विभूषित जिन प्रतिमाओं को देवी-देवताओं के स्तर पर नहीं रखा जा सकता था, उन्हें यक्ष-यक्षिणी कहा गया। लोक-समाज के ये यक्ष-यक्षिणी, पौराणिक नहीं, जनता सदृश उन्हीं जैसे होते थे। वे सामान्य मानव से श्रेष्ठ होते थे, लेकिन चमत्कारी नहीं थे। उन्हें लोक-देवता या लोक-देवी के रूप में पूजा-अर्चना की परम्परा रही। इसकी वजह इनका लोक कल्याणकारी रूप रहा। पुराणों और भारतीय मूर्तिकला के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यक्ष-यक्षिणियों की पूजा आठवीं-दसवीं सदी ई. तक होती रही उसके बाद जैसे-जैसे चमत्कार वाले देवी-देवताओं की रचना होती गयी उनकी संख्या और बढ़ती गई, मनुष्यों की तरह उनमें भी वर्ग-विभाजन होता गया। चमत्कार वाले देवी-देवता उच्च और लोक देवी-देवता निम्न हो गये। उन्हें पूर्व-देव और अर्ध-देव की श्रेणी में विभाजित कर दिया गया। यक्ष-यक्षिणी और कुबेर आदि अर्ध-देव बन गए और उन्हें पूजा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। देश में कहीं-कहीं यक्ष-यक्षिणियों की पूजा और मनौती आज भी होती है। पूर्वांचल के गांव-देहातों में ब्रह्मा वीर, जख बाबा, पत्थर बाबा, ढेलहा बाबा, गोहनायी बाबा, भुइया बाबा, बकतौर बाबा, मिथान बाबा, हरसू ब्रह्मा, सोखा बाबा के स्मृति-अवशेष आज भी गांव के बाहर पेड़ के पास या किसी पोखर के पास चौरा, शिला या पत्थर के रूप में मौजूद हैं। यह प्राचीन यक्ष पूजा का ही कालान्तर में लोक द्वारा दिया गया दूसरा नाम है। लोक संस्कृति में इन हरेक का कोई न कोई किस्सा-कहानी मौजूद है। प्रख्यात विद्वान डॉ. कृष्णानंद गुप्त और डॉ. बासुदेव शरण अग्रवाल की मान्यता है कि प्राचीनकाल की यक्ष पूजा ही लोकमानस में वीर-ब्रह्मा या भुइया बाबा इत्यादि की पूजा के रूप में प्रचलित है। इनकी पूजा समाज के निचले वर्ग की जातियों में प्रचलित है। दीदारगंज से प्राप्त यह मूर्ति यक्षिणी है या कुछ और साथ ही, इसके काल निर्धारण को लेकर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों में मत-भिन्नता है। कला इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी ने इस मूर्ति को यक्षिणी न मानकर चांवरग्राहिणी कहा है। चांवर डुलाना सेवक या सेविकाओं का काम होता था। चांवर देवी-देवता और राजा-रानियों की सेवा में डुलाया जाता था। दीदारगंज से प्राप्त इस के हाथ में चांवर स्पष्ट करता है कि यह कोई सेविका होगी। श्री शिवराम ने भी इसे चांवरधारिणी ही कहा है।

ऐसे इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट अशोक के 37 वर्षों के शासनकाल (269 ई.पू.-232 ई.पू.) में पोलिब्रोथ (पाटलिपुत्र) भारत का सबसे बड़ा नगर था। अशोक का सभा-भवन 80 स्तंभों पर टिका था। संभावना है कि सभा-भवन के मुख्य द्वार पर यक्षिणी को खड़ा किया गया होगा। कुछ इतिहासकारों ने इसे प्रारंभिक लक्ष्मी की संज्ञा दी है। इसका आधार उन्होंने परवर्ती काल में भगवान विष्णु के साथ अंकित चांवरधारिणी लक्ष्मी की प्रतिमा को दिया है। इन लोगों में राय गोविन्दचन्द्र और डॉ. माधुरी अग्रवाल का नाम है। दूसरी तरफ काशी प्रसाद जायसवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामप्रसाद चन्दा और जे.एन. बनर्जी जैसे कला इतिहासकारों ने इसे 'यक्षिणी' की संज्ञा दी है। अब यह आम धारणा स्थापित हो चुकी है कि दीदारगंज से प्राप्त यह प्रतिमा यक्षिणी ही है। यक्षिणी के काल-निर्धारण को लेकर भी इतिहासकार एकमत नहीं हैं।

कलाविद अरुण सेन कला के विकास के आधार पर यक्षिणी को मौर्यकाल के पहले की बताते हैं। उनके मुताबिक मौर्यकालीन मूर्तियां आगे और पीछे, दोनों ओर एक ही शैली में गढ़ी गई है। पर दीदारगंज यक्षिणी का पृष्ठ भाग एकदम समतल है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय तक कलाकार त्रि-आयामी मूर्तियां नहीं बना पा रहे थे। इनके विपरीत राम प्रसाद चंदा और निहार रंजन राय का मानना है कि यक्षिणी की यह मूर्ति मौर्यकाल के बाद की है। चंदा इसका समय प्रथम सदी कहते हैं। निहार रंजन राय यक्षिणी का निर्माण काल कुषाण कालीन मथुरा-शैली के प्रारंभिक काल के मध्य में रखते हैं। लेकिन काशी प्रसाद जायसवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल और राखलदास बनर्जी समेत ज्यादातर इतिहासकारों के विचार में यह मूर्ति मौर्यकाल की सबसे उत्तम कृति है। डा. विन्दयेश्वरी प्रसाद सिंह अपनी पुस्तक 'भारतीय कला को बिहार की देन' में कहते हैं कि दीदारगंज यक्षिणी पर चमत्कृत करने वाली पॉलिश है, जो मौर्यकालीन मूर्तियों की विशेषता है। मौर्य सम्राट अशोक का सभा भवन चुनार के बलुआ पत्थर से बना था, यक्षिणी भी उसी पत्थर से निर्मित है। डा. सिंह के अनुसार यक्षिणी की पीठ सीधी चिपटी-सी है। इसका कारण यह है कि इन मूर्तियों को दीवार या वृक्ष में सटाकर रखा जाता था और इसलिए इन्हें पीछे से देखने की आवश्यकता ही नहीं थी। डॉ. सिंह का कहना है कि यदि मौर्यकाल के बाद भी ऐसी दीसिमान पॉलिश संभव थी, तो फिर भरहुत, सांची और बोधगया की पाषाण रेलिंगों पर की मूर्तियों में इस 'चमक' का अभाव क्यों है? डा. सिंह कहते हैं कि मौर्यकाल के पहले की संभावना भी ठीक नहीं है। क्योंकि मौर्यकाल के पहले मूर्ति शिल्प की कोई अवधारणा नहीं थी। वह अनगढ़ रूप में थी। इसलिए यक्षिणी को मौर्यकालीन समझना ही अधिक युक्ति संगत मालूम पड़ता है। विद्वानों का एक बड़ा समूह यक्षिणी को मौर्यकालीन ही मानता है। कला के सभी उच्च प्रतिमानों पर दीदारगंज यक्षिणी खरा उतरती है। यक्षिणी का भाव-सौन्दर्य अबाध है, अतुलित है इसकी सृजनात्मकता। चौकी के साथ पूरी मूर्ति एक ही पत्थर की बनी है, जिसके पूरे कलेवर पर एक विशिष्ट और चमत्कृत करने वाली चमक है, जो आज तक बरकरार है। यह मूर्ति चतुर्मुख दर्शनीय है। यानि यह चारों से गढ़ी गई है और इसमें नारी शरीर रचना के आधुनिक नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है। पीठ की ओर से यह समतल है। किन्तु सामने का भाग दोनों तरफ से इस तरह काटा गया है कि त्रि-आयाम का आभास देती है। यह न तो अधिक युवा है और न वृद्ध। इसकी लयात्मक देह-भंगिमा, अभिजात्य मांसलता, गणितीय संतुलन और चेहरे पर सौम्य मुस्कान संतुलित और मोहक है।

यक्षिणी का चेहरा गोलाई लिये हुए है और बदन गदराया हुआ भरा-पूरा है। होंठो पर स्मित मुस्कान है। पतली कमर, माथे पर मांग टीका, कान में डमरू के आकार का नीचे की ओर लट्टू की तरह का आभूषण, गुंथे और सवारे हुए सघन केश, बंधा हुआ जुड़ा, गले में तीन हार, जिनमें दो लम्बी व एक छोटी है, दोनों स्तनों के बीच लहरा रहा है, नारी श्रृंगार का उतम उदाहरण है। यक्षिणी की यह मूर्ति दाहिने हाथ में तेरह चुड़ियां और दो कंगन तथा दाहिने कंधे पर चांवर धारण किये हुए है। बायां हाथ टूटा हुआ है और दाहिने हाथ से खंडित दुपट्टा लहरा रहा है। संभवतः मूर्ति के खंडित होने के पहले उसके पिछले भाग से दोनों हाथों के बीच से दुपट्टा लहराता रहा होगा। स्त्री की स्वभावगत लज्जा को दर्शाने के लिए मूर्ति को थोड़ा-सा झुका हुआ बनाया गया है। कमर के ऊपर का भाग यानि पेट की मांसलता और उभारों को निपुणता से गढ़ा गया है। यक्षिणी में

अबुल कलाम आजाद : एक बेमिसाल शख्सियत

मातृत्व का प्रदर्शन विकसित वक्षस्थल और दोनों वक्षों के आकार में अन्तर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। बायाँ वक्ष दायें वक्ष की अपेक्षा थोड़ा छोटा है। यह एक चिकित्सकीय सच्चाई है कि बायीं ओर हृदय होने के कारण बायें वक्ष में अपेक्षाकृत कम दूध होता है। इसलिए इसका आकार दायें से छोटा होता है।

यक्षिणी की पतली कमर में पांच लड़ियों की मेखला तथा पांव में कड़ा कृशोदरी सुशोभित है। यह एड़ी तक पहुंचनेवाली चुन्नरदार साड़ी पहन रखी है। साड़ी में एक पटका खोसा हुआ है, जिसका एक छोर फंदेदार है। ऊपर से नीचे क्रमशः पतले होते पैर, साड़ी की चून और सिलवटे, अत्यन्त सुन्दर और आकर्षक है। नाभि के निचले हिस्से की सिकुड़न भी अद्भुत और विलक्षण है। इस प्रकार उभरे स्तन, पतली कमर, अभिजात्य मांसलता, गणितीय संतुलन अद्भुत चमक और विस्तृत नितम्ब से भरी-पूरी यह मूर्ति नारी सौन्दर्य का प्रतिमान है।

पुरातत्वविदों ने यक्षिणी की इस मूर्ति में प्रत्यक्ष रूप से तीन विशेषताओं को स्थापित किया है-सेवा भाव, मातृत्व और मुस्कान। मूर्ति के कंधों पर चांवर सेवा का प्रतीक है, जो नारी का नैसर्गिक गुण है। मातृत्व का प्रदर्शन विकसित वक्षस्थल और दोनों वक्षों के आकार में अन्तर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। मूर्ति के कपोल को हल्का उर्ध्व उभार देकर चेहरे पर स्मित मुस्कान का अंकन किया गया है। इसी रूप में यह लियों नादों द विंची की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की मुस्कान से बढ़कर है। मोनालिसा की मुस्कान अगूढ़ तथा रहस्यात्मक है, वह व्यंग्य करती प्रतीत होती है। जबकि यक्षिणी की मुस्कान संतुलित और मोहक है। इसकी मुस्कान का अर्थ देखनेवाले की दृष्टि में सन्निहित है। यदि देखने वाला इसे मातृरूप में देख रहा है तो यह मुस्कान मातृत्वपूर्ण है। यदि कोई इसे अपनी प्रेमिका या पत्नी के रूप में देख रहा है तो यह मुस्कान सौन्दर्यपूर्ण है। भारतीय कला में सौन्दर्य की कल्पना आदिकाल से ही चली आ रही है। जिस कला में सौन्दर्य और आनन्द का स्फुरन न हो, वह कला नहीं है। संस्कृत का एक श्लोक है :

क्षणं क्षणं यत्रवता मुपैनि

तदैव रूपं रमणीयतायाः

मतलब यह कि जो प्रत्येक बार देखने पर भी नवीन लगे, उसका आकर्षण घटे नहीं, अपितु बढ़ता ही रहे, उसी को सौन्दर्ययुक्त माना जाना चाहिए। यक्षिणी में सौन्दर्य और लालित्य के मूर्त रूप की पराकाष्ठा है। इसमें कलासिकल और आधुनिक सौंदर्य दोनों का सन्निवेश है। सौन्दर्य का महिमा-वयन श्रृंगार रस में होता है। यक्षिणी का श्रृंगार इसी का घोटक है। यह श्रृंगार और सौन्दर्य की ही प्रतिमूर्ति है। नवीन, हमेशा लुभावनकारी। ऐसा लगता है कि इस मूर्ति को हाल ही में बनाया गया है या फिर अभी-अभी इसपर पॉलिश की गई है। मोहनजोदड़ो की डारसिंग गर्ल के बाद की सबसे अधिक चर्चित प्रतिमा। कलात्मकता और निर्माण टेकनीक में यह रचनात्मक कला के मानदंड का पैमाना बन गई है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इसे भारतीय मूर्तिकला की अनुपम कृति से विभूषित किया है। समूची दुनिया की मूर्तिकला में नारी की शरीर रचना और सौंदर्य का इससे बेहतर उदाहरण और कहीं देखने को नहीं मिलता है।

(लेखक हिन्दी के महत्त्वपूर्ण जीवनीकार हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं में कई पुस्तकें प्रकाशित हैं।)

भारत की जंग -ए -आजादी के अजीम रहनुमाओं की पहली फेहरिस्त में शामिल मौलाना अबुल कलाम आजाद की बेमिसाल शख्सियत को आजादी के 75 वें साल (अमृत वर्ष) में कई मुनासिब और वाजिब वजहों से याद किया जाना लाजिमी है।' धार्मिक कट्टरता और दक्षिणपंथी उभार के इस बेहद मुश्किल दौर में जब धर्म और राष्ट्र को लेकर न केवल एक खास किस्म की विकृत एवं एकहरी विचारधारा थोपने की कोशिशें तेज होती गई हैं बल्कि प्रकारांतर से धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्पीड़न के अभियान को भी बढ़ाया गया है तब धर्मनिरपेक्ष एवं समन्वित संस्कृति के सशक्त पैरोकार मौलाना आजाद के योगदानों का महत्व और भी बढ़ जाता है।

11 नवंबर, 1888 को मक्का की पवित्र धरती पर जन्म लेने वाले मुहीउद्दीन अहमद 2 साल की उम्र में हिन्दुस्तान (कलकत्ता) आये और अपनी जेहनी काबिलियत के दम पर जमाने भर में मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से जाने गए। उन्होंने तमाम उम्र भारत के मुस्तकबिल को संवारने में लगा दी। मौलाना आजाद की पसंदीदा पोशाक शेरवानी और ऊंची टोपी को देखकर कुछ लोगों को उनके पुरातनपंथी या रूढ़िवादी होने का भ्रम हो सकता है, लेकिन जब आप मौलाना आजाद की जिदगी और कारवाइयों के तमाम पड़ावों पर सिलसिलेवार नजर डालेंगे तब आप उनकी प्रगतिशीलता, उदारता और आधुनिकता का सही-सही आकलन कर पाएंगे। मौलाना आजाद अक्सर कहा करते थे 'मनुष्य के मानसिक विकास के मार्ग में अंधविश्वास बड़ी रुकावट है।' अंधविश्वास की रूढ़ि को मिटाने के क्रम में ही उन्होंने स्वयं के लिए 'आजाद' तखल्लुस (उपनाम) चुना था। इस बात की तस्दीक करते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा 'इंडिया विंस फ्रीडम' में लिखा है 'मैं सभी पारंपरिक रास्तों से मुक्ति का आकांक्षी था और एक नए रास्ते की तलाश में था तभी 'मैंने आजाद' तखल्लुस को अपनाया का फैसला किया। यह इस बात का सूचक था कि मैं किसी पूर्व निश्चित ज्ञानधारा का अंध समर्थक नहीं हूँ। उल्लेखनीय है कि इस समय यानी अपनी किशोरावास्था में मौलाना आजाद धर्म, सत्य और दर्शन से जुड़े विषयों का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे तभी इस साहसिक चिंतन की नींव पड़ी।

समकालीन परिस्थितियों में मौलाना आजाद का मूल्यांकन उस ऐतिहासिक भाषण के बगैर पूरा नहीं हो सकता जो उन्होंने कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन (1940) में बतौर अध्यक्ष दिया था। इस भाषण में उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताओं और राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से संबंधित मुद्दों पर जिस विद्वता और साफगोई से प्रकाश डाला है वो उनके अध्येता और प्रगतिशील व्यक्तित्व का परिचायक है। इस भाषण में उन्होंने व्यक्ति की निजी धार्मिक मान्यताओं के महत्व को रेखांकित करते हुए एक सचेतन भारतीय नागरिक की जिम्मेदारियों का बोध भी कराया है 'मैं मुसलमान हूँ और गर्व के साथ अनुभव करता हूँ कि मुसलमान हूँ।' इस्लाम की 1300 बरस की शानदार रिवायतें मेरी पैतृक संपत्ति हैं। मुसलमान होने

अबुल कलाम आजाद : संक्षिप्त जीवन परिचय

मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, राजनेता, मुस्लिम विद्वान, कवि, हिंदू-मुस्लिम एकता के समर्थक और भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक मजबूत कांग्रेसी नेता के रूप में संपूर्ण भारत में जाने जाते हैं। वे गांधी जी और उनकी अहिंसावादी विचारधारा के अनुयायी थे। उन्होंने देश में धार्मिक सदभाव के लिए काम किया। इनके जन्म दिवस 11 नवम्बर को सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

जन्म व प्रारंभिक जीवन :

अबुल कलाम आजाद का असली नाम अबुल कलाम गुलाम मुहीउद्दीन अहमद या फिरोज बक्श था। इनका जन्म 11 नवम्बर 1888 ई. को मक्का में हुआ था। इनकी माता का नाम आलिया था, जो मदीना के शेख मोहम्मद जाहिर वत्री की भतीजी थीं और पिता का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन था जो अफगान उलमाओं के खानदान से वास्ता रखते थे, बाबर के समय में हेरात से भारत आ कर बस गए थे। इनके पिता 1857 क्रांति के समय भारत छोड़कर मक्का चले गए और 1890 ई. में भारत वापस आ गए। 1899 ई. में इनकी माता का देहांत हो गया।

शिक्षा :

इनकी प्रारंभिक शिक्षा इस्लामी तौर तरीके से शुरू हुई। कम उम्र पर ही इन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो गयी थी। इसके सिवाय इन्हें गणित, इतिहास और दर्शनशास्त्र की भी शिक्षा प्राप्त हुई। इन्होंने अंग्रेजी स्वाध्याय से सीखी मौलाना आजाद न सिर्फ हिंदी व उर्दू बल्कि अरबी और फारसी के भी अच्छे विद्वान थे।

वैवाहिक जीवन :


13 वर्ष की काम आयु में ही इनका विवाह जुलेखा बेगम से कर दिया गया।

क्रांतिकारी जीवन :

ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ छिड़ी जंग में मौलाना आजाद भी एक अहम क्रांतिकारी थे। ये अंत तक देश के विभाजन के कट्टर विरोधी रहे। साथ ही देश में बढ़ रही साम्प्रदायिकता के सबसे कट्टर विरोधी थे। 1912 ई. में कलकत्ता से उर्दू भाषा की एक पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से देश की जनता का मार्गदर्शन किया। 1914 ई. में अल हिलाल को बैन कर दिया गया तब इन्होंने अल-बलाघ नाम से पत्रिका निकाली जो अल हिलाल का ही उद्देश्य पूरा करने के माध्यम से स्थापित की गयी थी।

कांग्रेसी नेता के रूप में :

मौलाना आजाद का नाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार है। कांग्रेस के 1923 ई. के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने।



अबुल कलाम आजाद : राष्ट्रवाद की अभिनिवृत्त मिसाल

मृत्यु :

इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 को नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से हो गयी।

आजादी के बाद :

देश आजाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 को मौलाना आजाद को स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। और इस पद पर वे 22 जनवरी 1958 तक रहे। इन्हें ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय जाता है। इन्होंने 1953 ई. में संगीत नाटक अकादमी, 1954 ई. में साहित्य अकादमी और 1954 ई. में ही ललित कला अकादमी की स्थापना भी की।

सम्मान/पुरस्कार/उपलब्धियां :

इनके जन्म दिवस 11 नवम्बर को भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 1989 ई. में भारत सरकार ने इनके जन्मदिवस पर देश में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 'मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन' की स्थापना की।

की हैसियत से मैं अपने मजहबी और कल्चरल दायरे में अपना एक खास अस्तित्व रखता हूँ और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इसमें कोई हस्तक्षेप करे किंतु इन तमाम भावनाओं के अलावा मेरे अंदर एक और भावना भी है जिससे मेरी जिंदगी के रियलिटीज यानी हकीकतों ने पैदा किया है। इस्लाम की आत्मा मुझे उससे नहीं रोकती बल्कि मेरा मार्ग 17 प्रदर्शन करती है मैं अभिमान के साथ अनुभव करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ मैं हिंदुस्तान की अब विभिन्न संयुक्त राष्ट्रीयता का (नाकाबिले तकसीम

मुत्ताहिदा कौमियत) का ऐसा महत्वपूर्ण अंश हूँ उसका ऐसा टुकड़ा हूँ जिसके बिना उसका महत्त्व अधूरा रह जाता। मैं इसकी बनावट का एक जरूरी हिस्सा हूँ मैं अपने इस दावे से कभी दस्त बरदार नहीं हो सकता। आज हमारी कामयाबियों का दारोमदार तीन चीजों पर हैं हमारी सफलता इन्हीं पर निर्भर है इतिहाद यानी एकता डिसिप्लिन यानी अनुशासन और महात्मा गांधी के नेतृत्व यानी उनकी रहनुमाई पर पूरा भरोसा। आज के समय में जब देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी की

राष्ट्रभक्ति को सवालों के घेरे में रख कर नफरती सोच को पोषित किया जा रहा है तब भारतीय मुसलमानों के सबसे अजीम रहनुमा मौलाना आजाद का उपरोक्त वक्तव्य मुसलमानों की वतन परस्ती की शिनाख्त बहुत ही तस्ल्लीबख्श तरीके से पेश करता है। इतना ही नहीं देश की आजादी के बाद बने भारतीय संविधान में जिस धार्मिक आजादी के अधिकार का प्रावधान प्रत्येक नागरिक के लिए किया गया उसकी पूर्वापिका भी मौलाना आजाद के इस बयान में मौजूद है। मजहबी मोहब्बत और वतनी मोहब्बत के रंगों को इंसानी जिंदगी के साथ इस खूबसूरती से जोड़ने की बात शायद ही इससे पहले किसी ने की हो। अपनी भारतीय प्रतिबद्धता को लेकर मौलाना आजाद आजीवन समर्पित भाव से कार्य करते रहे। भारतीयता के इसी समर्पण भाव के कारण उन्होंने द्विराष्ट्र के सिद्धांत का सदैव विरोध किया। उन्होंने केवल मुस्लिम लीग की पृथकतावादी सोच का विरोध किया बल्कि अपने समाज के लोगों की आलोचनाओं को भी बहुत ही बहादुरी से झेला और कट्टरपंथी विचारधारा के प्रतिरोध में एक उदारवादी सोच और मिल्लत से भरी समझ के मिशन को आगे बढ़ाया। मौलाना आजाद को अपनी हिंदुस्तानी राष्ट्रियता पर इतना गर्व था वे इसे अविभाज्य मानते थे। धार्मिक विभाजन के वे न केवल धुर विरोधी थे बल्कि वे मानते थे कि अगर देश का विभाजन धार्मिक आधार पर होगा तो इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान नागरिकों और हमारे भविष्य का होगा। यह मौलाना आजाद के अथक परिश्रम और अदम्य जिजीविषा का ही प्रतिफल था कि लाखों मुसलमान जिन्होंने धार्मिक आधार पर बने नए देश पाकिस्तान जाने की सारी तैयारियां पूरी कर ली थी आखिरी समय में अपना इरादा बदल दिया। बंटवारे की त्रासदी के दिनों में मुसलमानों के अंदर घर कर चुके भय और संत्रास की भावना पर चोट करते हुए उन्होंने 23 अक्टूबर, 1948 को जामा मस्जिद की प्राचीर से मुसलमानों को संबोधित करते हुए उन्हें उनके पूर्वजों की बहादुराना कार्रवाइयों और वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देनेवाले योद्धाओं की याद दिलाई और मुस्लिम लीग एवं जिन्ना की साजिशों को भी बेनकाब किया। यह संबोधन इसलिए अविस्मरणीय है कि एक ऐसे समय में जब अविश्वास और असुरक्षा का वातावरण अपने चरम पर था, इंसान इंसान के खून का प्यासा बन गया था, प्यार और सौहार्द जैसे शब्द अपने अर्थ खो चुके थे तब मौलाना आजाद के इस निर्भीक संबोधन ने न केवल एक जनसमूह के मन में विश्वास, सुरक्षा और प्रेम की भावना को पुख्ता किया बल्कि उन्हें अपने पुरखों की पुण्यभूमि पर रोकने में भी जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इतिहास में ऐसे प्रसंग बहुत कम मिलेंगे जब इतने नाजुक मौकों पर किसी एक शख्सियत ने अपने बूते इतिहास की धारा को ही बदल दिया हो। मौलाना आजाद की बुलंद और दानिशमंदी से भरी तकरीर ने आजाद हिंदुस्तान को ऐसी युगांतकारी घटना से पहली बार परिचित कराया साथ ही साथ मौलाना आजाद की 'स्टेट्समैन' इमेज भी इससे दुनिया भर में स्थापित हो गई। विभाजन की विभीषिका से आगाह करते हुए मौलाना आजाद ने बहुत ही जज्बाती तरीके से दो कौमों के नजरिए को मर्ज-ए-मौत के बराबर करार दिया।

स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना आजाद की आजादख्याल और खोजी मानसिकता ने आगे चलकर उन्हें एक प्रतिष्ठित पत्रकार के रूप में भी स्थापित किया। उनके द्वारा निकाले गए 'अल हिलाल' और 'अल बलाग' नामक उर्दू अखबार भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में मील के पत्थर हैं। इन अखबारों के जरिए मौलाना आजाद ने तत्कालीन वैश्विक और राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपने

सुचिंतित विचारों से जनता को अवगत कराया और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ एक विशाल जनमत तैयार किया। उनके लेखों और टिप्पणियों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने कानून में संशोधन करके इन अखबारों को जब्त कर लिया और भारी जुमाना लगाया। इन अखबारों के माध्यम से मौलाना आजाद ने मुस्लिम समाज को भी नई सोच और समझ से परिचित कराया। उन्हें आधुनिक समय के साथ जुड़ने को प्रेरित किया। उनके सुखद भविष्य की योजनाओं का खाका पेश किया। सर सैय्यद की अंग्रेजपरस्त नीति का विरोध करते हुए उन्होंने सम्पूर्ण मुस्लिम समाज को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में एकजुट होने को प्रेरित किया। इसी क्रम में उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय संस्थान के रूप में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना को संभव किया। इन्हीं वजहों से मौलाना आजाद की मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अल हिलाल की लोकप्रियता का किस्सा सप्रमाण प्रस्तुत किया है। अल हिलाल की प्रसार संख्या प्रति सप्ताह 26000 प्रति पहुंच गई थी। उस जमाने (1912-13) में यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी।

देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में जिस तरह से उन्होंने नव स्वतंत्र राष्ट्र की भावी आवश्यकताओं को समझते हुए आधारभूत संकल्पनाओं को साकार रूप में परिणत किया, आगे चलकर उन्हीं के बलबूते एक समर्थ भारत का सम्यक स्वरूप प्रस्फुटित हो सका। नवोदित राष्ट्र के विकास में शिक्षा के सर्वोपरि महत्व को स्वीकारते हुए उन्होंने देश के शिक्षित समाज को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाई। मौलाना आजाद ने यह सार्वजनिक अपील शिक्षा मंत्री के तौर पर 16 जनवरी 1948 को अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में की थी। ध्यातव्य है कि उस समय भारत की साक्षरता दर महज 12 प्रतिशत थी इसलिए एक नवोदित राष्ट्र के उन्नत भविष्य के लिए ऐसा वृहद स्वयंसेवी प्रयास अनिवार्य था। इसी भाषण में उन्होंने सभी भारतीय नागरिकों के लिए 14 वर्ष की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था लागू करने की घोषणा की जो आज भी अनवरत जारी है। वयस्क शिक्षा संबंधी कार्यक्रम भी मौलाना आजाद की देन है। इस दिशा में उन्होंने पृथक बोर्ड की भी स्थापना की थी। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कला, संस्कृति, तकनीक, विज्ञान से जुड़े विश्वस्तरीय नवीन संस्थाओं की भी स्थापना की। साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसी संस्थाएं मौलाना आजाद की विशाल और ऊर्वर सर्जना की बेबाक गवाहियां हैं। ये संस्थाएं उनकी समन्वयकारी लोकतांत्रिक मूल्य भावना से भी परिचित कराती हैं।

आज के दौर में जब कपड़े देखकर धारणाएं बनाने का चलन जोरों पर है तब ऊंची टोपी, दाढ़ी और शेरवानी धारण करने वाले मौलाना की जिंदगी से सबक लेने की जरूरत है। सच यह है कि आधुनिक भारत के निर्माता मौलाना आजाद तमाम धारणाओं के समक्ष एक सशक्त प्रतिरोध के रूप में सामने आते हैं तथा कपड़े से धारणा बनाने वालों को लगातार और ज्यादा लोकतांत्रिक, समावेशी, तार्किक तथा अध्ययनशील बनने की चुनौती पेश करते हैं।

(लेखक युवा आलोचक एवं टिप्पणीकार हैं।)

दो कौमों का नजरिया मर्जे मौत का दर्जा रखता है

मेरे अजीजो! आप जानते हैं कि वो कौन-सी जंजीर है जो मुझे यहां ले आई है। मेरे लिए शाहजहां की इस यादगार मस्जिद में ये इज्जत सामूहिक मिलन नया नहीं। मैंने उस जमाने में भी किया। अब बहुत-सी गर्दियों बीत चुकी हैं। मैंने जब तुम्हें खिताब किया था, उस वक्त तुम्हारे चेहरों पर बेचैनी नहीं इत्मीनान था। तुम्हारे दिलों में शक के बजाए भरोसा था। आज जब तुम्हारे चेहरों की पेशानियां और दिलों की वीरानी देखता हूं तो भूली बिसरी कहानियां याद आ जाती हैं। तुम्हें याद है? मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी जबान काट ली। मैंने कलम उठाया और तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए। मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरे पांव काट दिए। मैंने कर-वट लेनी चाही तो तुमने मेरी कमर तोड़ दी। हद ये कि पिछले सात साल में तलख सियासत जो तुम्हें दाग-ए-जूदाई दे गई है उसके अहद-ए शबाब (यौवनकाल, यानी शुरूआती दौर) में भी मैंने तुम्हें खतरे की हर घड़ी पर झिंझोड़ा था। लेकिन तुमने मेरी सदा (मदद के लिए पुकार) से न सिर्फ एतराज किया बल्कि गफ़लत और इनकार की सारी सुन्नतें ताजा कर दीं। नतीजा मालूम ये हुआ कि आज उन्हीं खतरों ने तुम्हें घेर लिया, जिनका अदेशा तुम्हें सिरात-ए-मुस्तकीम (सही रास्ते) से दूर ले गया था।

सच पूछो तो अब मैं जमूद (स्थिर) हूं या फिर दौर-ए-उफ़तादा (हेल्पलेस) सदा हूं। जिसने वतन में रहकर भी गरीब-उल-वतनी की जिंदगी गुजारी है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मकाम मैंने पहले दिन अपने लिए चुन लिया, वहां मेरे बाल-ओ-पर काट लिए गए या मेरे आशियाने के लिए जगह नहीं रही। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दामन को तुम्हारी करगुजारियों से गिला है। मेरा एहसास जख्मी है और मेरे दिल को सदमा है। सोचो तो सही तुमने कौन-सी रह इख्तियार की? कहां पहुंचे और अब कहां खड़े हो? क्या ये खौफ की जिंदगी नहीं। और क्या तुम्हारे भरोसे में फर्क नहीं आ गया है। ये खौफ तुमने खुद ही पैदा किया है। अभी कुछ ज्यादा वक़्त नहीं बीता, जब मैंने तुम्हें कहा था कि दो कौमों का नजरिया मर्जे मौत का दर्जा रखता है। इसको छोड़ दो। जिनपर आपने भरोसा किया, वो भरोसा बहुत तेजी से टूट रहा है। लेकिन तुमने सुनी की अनसुनी सब बराबर कर दी और ये न सोचा कि वक़्त और उसकी रफ़्तार तुम्हारे लिए अपना वजूद नहीं बदल सकते। वक़्त की रफ़्तार थमी नहीं। तुम देख रहे हो। जिन सहारों पर तुम्हारा भरोसा था वो तुम्हें लावारिस समझकर तकदीर के हवाले कर गए हैं। वो तकदीर जो तुम्हारी दिमागी मंशा से जुदा है।


अंग्रेजों की बिसात तुम्हारी ख्वाहिशों के खिलाफ़ उलट दी गई और रहनुमाई के वो बुत जो तुमने खड़े किए थे वो भी दगा दे गए। हालांकि तुमने सोचा था ये बिछाई गई बिसात हमेशा के लिए है और उन्हीं बुतों की पूजा में तुम्हारी जिंदगी है। मैं तुम्हारे जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता और तुम्हारे इज्जराब (बेचैनी) में मजीद इजाफ़ा करना मेरी ख्वाहिश नहीं है। लेकिन अगर कुछ दूर माजी (पास्ट) की तरफ़ पलट जाओ तो तुम्हारे लिए बहुत से गिरहें खुल सकती हैं। एक वक़्त था कि मैंने हिंदुस्तान की आजादी का एहसास दिलाते हुए तुम्हें पुकारा था और कहा था कि जो होने वाला है उसको कोई कौम अपनी नहूसियत (मातम मनाने वाली स्थिति) से रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान की तकदीर में भी सियासी इंकलाब लिखा जा चुका है और उसकी गुलामी की जंजीरें 20वीं सदी की हवाएं हुरियत से कट कर गिरने वाली हैं और अगर तुमने वक़्त के पहलू-बा-पहलू कदम नहीं उठाया तो फ्यूचर का इतिहासकार लिखेगा कि तुम्हारे गिरोह ने, जो सात करोड़ मुसलमानों का गोल था, मुल्क की आजादी में वो रास्ता इख्तियार किया जो

सफ़हा हस्ती से खत्म हो जानेवाली कौमों का होता है। आज हिंदुस्तान आजाद है और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो वो सामने लाल किले की दीवार पर आजाद हिंदुस्तान का झंडा शान से लहरा रहा है। ये वही झंडा है जिसकी उड़नों से हाकिमा गुरू के दिल आजाद कहकहे लगाते थे। ये ठीक है कि वक़्त ने तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक अंगड़ाई नहीं ली, बल्कि उसने एक कौम के पैदाइशी हक के एहताराम में करवट बदली है। और यही वो इंकलाब है, जिसकी एक करवट ने तुम्हें बहुत हद तक खौफ़जदा कर दिया है। तुम ख्याल करते हो तुमसे कोई अच्छे शै (चीज) छिन गई है और उसकी जगह कोई बुरी शै आ गई है। हां तुम्हारी बेकरारी इसलिए है कि तुमने अपने आपको अच्छे शै के लिए तैयार नहीं किया था। और बुरी शै को अपना समझ रखा था। मेरा मतलब गैर मुल्की गुलामी से है, जिसके हाथों तुमने मुद्दों खिलौना बनकर जिंदगी बसर की। एक वक़्त था जब तुम किसी जंग के आगाज की फिज़्र में थे। और आज उसी जंग के अंजाम से परेशान हो। आखिर तुम्हारी इस हालत पर क्या कहां। इधर अभी सफ़र की जुस्तजू खत्म नहीं हुई और उधर गुमराही का खतरा भी दर पेश आ गया। मेरे भाई मैंने हमेशा खुद को सियासत की ज्यादतियों से अलग रखने की कोशिश की है। कभी इस तरफ़ कदम भी नहीं उठाया, क्योंकि मेरी बातें पसंद नहीं आतीं। लेकिन आज मुझे जो कहना है उसे बेरोक होकर कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान का बंटवारा बुनियादी तौर पर गलत था। मजहबी इख़लाफ़ को जिस तरह से हवा दी गई उसका नतीजा और आसार ये ही थे जो हमने अपनी आंखों से देखे। और बदकिस्मती से कई जगह पर आज भी देख रहे हैं।

पिछले सात बरस के हालात दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं। और न उससे कोई अच्छे नतीजा निकलने वाला है। अलबत्ता मुसलमानों पर जो मुसीबतों का रैला आया है वो यकीनन मुस्लिम लीग की गलत कयादत का नतीजा है। ये सब कुछ मुस्लिम लीग के लिए हैरत की बात हो सकती है। मेरे लिए इसमें कुछ नई बात नहीं है। मुझे पहले से ही इस नतीजे का अंदाजा था। अब हिंदुस्तान की सियासत का रुख बदल चुका है। मुस्लिम लीग के लिए यहां कोई जगह नहीं है। अब ये हमारे दिमागों पर है कि हम अच्छे अंदाज-ए-फिज़्र में सोच भी सकते हैं या नहीं। इसी ख्याल से मैंने नवंबर के दूसरे हफ़्ते में हिंदुस्तान के मुसलमान रहनुमाओं को देहली में बुलाने का न्योता दिया है। मैं तुमको यकीन दिलाता हूं। हमको हमारे सिवा कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। मैंने तुम्हें हमेशा कहा और आज फिर कहता हूं कि नफ़रत का रास्ता छोड़ दो शक से हाथ उठा लो। और बदअमली को तर्क (त्याग) दो। ये तीन धार का अनोखा खंजर लोहे की उस दोधारी तलवार से तेज है, जिसके घाव की कहानियां मैंने तुम्हारे नौजवानों की जबानी सुनी हैं। ये फ़रार की जिंदगी, जो तुमने हिजरात (पलायन) के नाम पर इख्तियार की है। उस पर गौर करो। तुम्हें महसूस होगा कि ये गलत है।

अपने दिलों को मजबूत बनाओ और अपने दिमागों में सोचने की आदत डालो। और फिर देखो ये तुम्हारे फ़ैसले कितने फ़ायदेमंद हैं। आखिर कहां जा रहे हो? और क्यों जा रहे हो? ये देखो मस्जिद की मीनारें तुमसे उच्च कर सवाल कर रही हैं कि तुमने अपनी तारीख के सफ़हात को कहां गुम कर दिया है? अभी कल की बात है कि यही जमुना के किनारे तुम्हारे काफ़िलों ने वजू (नमाज से पहले मुंह हाथ धोने का प्रोसेस) किया था। और आज तुम हो कि तुम्हें यहां रहते हुए खौफ़ महसूस होता है। हालांकि देल्ही तुम्हारे खून की सींचो हुई है। अजीजो! अपने अंदर एक बुनियादी तब्दीली पैदा करो। जिस तरह आज से

किराई मुसहर : एक सबॉल्टर्न समाजवादी



कोसी की विभीषिका से पीड़ित लोगों में एक अपूर्व जिजीविषा होती है। बाढ़ के प्रलयकारी प्रभाव को झेलने के बाद इस क्षेत्र की भूमि जगह-जगह अत्यन्त उर्वर हुई है। ऐसी उत्कंठा कि सब भूमि उर्वर हो, सभी लोग सुखी हों, मिथिला के इस भू-भाग में समाजवाद का पौधा कुछ ज्यादा ही अंकुरित होते रहा है। इस भूमि ने बहुत से नायक, क्रांतिकारी, नेतृत्वकर्ता, सामाजिक-चिंतक, मुखर एवं प्रखर वक्ताओं को अवतरित किया है। इनमें से जो लोग अपने ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा के लिए जगजाहिर रहे एवं इसके लिए अपने जीवन को आदर्श के रूप में स्थापित करने में सफल रहे उनमें एक विशिष्ट नाम है-किराई मुसहर का। किराई मुसहर का जन्म 17 नवम्बर 1920 ई. को बिहार के कोसी क्षेत्र के मुर्हो गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम फूसर मुसहर था। किराई मुसहर जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोगों का जीवन पूर्व में भी अत्यन्त कष्ट एवं अभाव में बीता एवं आज भी लगभग वैसा ही है। कहा जाय तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिकता एवं नवजागरण के स्वर से कोसी दूर। जीवन की दुर्दशा ऐसी कि दिन-रात काम करने के बाद भी अच्छे खाने को नहीं मिलता। अपने जाति की सामाजिक समस्या और आर्थिक परिस्थिति के अनुसार किराई मुसहर का जीवन भी मालिक-मुख्तार के रहमो-करम पर था। दूसरे के खेत-खलिहान में कार्य करना ही जीवन का आधार था। अक्षर का भी उतना ज्ञान न था लेकिन सामाजिक कार्यों में रूचि थी।

महात्मा गांधी और डॉ. राममनोहर लोहिया के विचारों से वे अत्यन्त प्रभावित थे। इनके पुत्र छट्टू ऋषिदेव कहते हैं, "आजादी से पूर्व एकबार गांधी जी मिथिला के कोसी क्षेत्र आये हुए थे। बाबूजी मालिक का खेत जोत रहे थे। गांधी जी के आने की खबर सुनकर वे शीघ्र ही खेत से लौट आये एवं उन्हें सुनने सहरसा चले गए। जब उधर से लौटे तो मालिक ने बहुत अभद्र व्यवहार किया एवं खेत में काम करने से मना कर दिया। उस समय घर का खर्चा जुटाने में बड़ी दिक्कत हुई थी। जीवनयापन के लिए बगल वाले गांव के खेत-खलिहानों में मजदूरी करने लगे। यह क्रम कई मास तक चला। बाद में इन्हीं के ग्रामीण महावीर प्रसाद मंडल इन्हें आश्रय दिया। बाबू जी उन्हीं के यहां हल जोतने का कार्य करने लगे। अपनी सक्रियता के कारण वे जल्दी ही डॉ. राममनोहर लोहिया एवं अन्य समकालीन नेताओं के संपर्क में आ गए। खेत-खलिहान का कार्य एवं मवेशियों को चारा लगाने के बाद वे सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर पहुंच जाते थे। वहां डॉ. लोहिया, आचार्य कृपलानी,

कुछ अरसे पहले तुम्हारे जोश-ओ-खरोश बेजा थे। उसी तरह से आज ये तुम्हारा खौफ बेजा है। मुसलमान और बुजदिली या मुसलमान और इशतआल (भड़काने की प्रक्रिया) एक जगह जमा नहीं हो सकता। सच्चे मुसलमान को कोई ताकत हिला नहीं सकती है। और न कोई खौफ डरा सकता है। चंद इंसानी चेहरों के गायब हो जाने से डरो नहीं। उन्होंने तुम्हें जाने के लिए ही इकट्ठा किया था। आज उन्होंने तुम्हारे हाथ में से अपना हाथ खींच लिया है तो ये ताज्जुब की बात नहीं है। ये देखो तुम्हारे दिल तो उनके साथ रखसत नहीं हो गए। अगर अभी तक दिल तुम्हारे पास है तो उनको अपने उस खुदा की जलवागाह बनाओ। मैं कलाम में तकरार का आदी नहीं हूं। लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बार-बार कहना पड़ रहा है। तीसरी ताकत अपने घमंड की गठरी उठाकर रखसत हो चुकी है और अब नया दौर ढल रहा है अगर अब भी तुम्हारे दिलों का मामला बदला नहीं और दिमागों की चुभन खत्म नहीं हुई तो फिर हालत दूसरी होगी। लेकिन अगर वाकई तुम्हारे अंदर सच्ची तब्दीली की ख्वाहिश पैदा हो गई है तो फिर इस तरह बदलो, जिस तरह तारीख (इतिहास) ने अपने को बदल लिया है। आज भी हम एक दौर इंक्लाब को पूरा कर चुके, हमारे मुल्क की तारीख में कुछ सफहे (पन्ने) खाली हैं और हम उन सफहों में तारीफ के उनवान (हेडिंग) बन सकते हैं। मगर शर्त ये है कि हम इसके लिए तैयार भी हों। अजीजों, तब्दीलियों के साथ चलो। ये न कहो इसके लिए तैयार नहीं थे, बल्कि तैयार हो जाओ। सितारे टूट गए, लेकिन सूरज तो चमक रहा है। उससे किरण मांग लो और उस अंधेरी राहों में बिछा दो। जहां उजाले की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम हाकिमाना इक्तेदार के मदरसे से वफादारी का सर्टिफिकेट हासिल करो। मैं कहता हूं कि जो उजले नक्श-ओ-निगार तुम्हें इस हिंदुस्तान में माजी की यादगार के तौर पर नजर आ रहे हैं, वो तुम्हारा ही काफिला लाया था। उन्हें भुलाओ नहीं, उन्हें छोड़ो नहीं। उनके वारिस बनकर रहो। और समझ लो तुम भागने के लिए तैयार नहीं तो फिर कोई ताकत तुम्हें नहीं भगा सकती। आओ अहद (कसम) करो कि ये मुल्क हमारा है। हम इसी के लिए हैं और उसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे ही रहेंगे। आज जलजलों से डरते हो? कभी तुम खुद एक जलजला थे। आज अंधेरे से कांपते हो। क्या याद नहीं रहा कि तुम्हारा वजूद खुद एक उजाला था। ये बादलों के पानी की सील क्या है कि तुमने भीग जाने के डर से अपने पायंचे चढ़ा लिए हैं। वो तुम्हारे ही इस्लाफ थे जो समुंदरों में उतर गए। पहाड़ियों की छतियों को रौंद डाला। आधियां आईं तो उनसे कह दिया कि तुम्हारा रास्ता ये नहीं है। ये ईमान से भटकने की ही बात है जो शहशाहों के गिरेबानों से खेलने वाले आज खुद अपने ही गिरेबान के तार बेच रहे हैं। और खुद से उस दर्जे तक गाफिल हो गये हैं कि जैसे उसपर कभी ईमान ही नहीं था। अजीजों मेरे पास कोई नया नुस्खा नहीं है। वही 1400 बरस पहले का नुस्खा है। वो नुस्खा जिसको कायनात का सबसे बड़ा मोहसिन (मोहम्मद साहब) लाया था और वो नुस्खा है कुरान का ये ऐलान, 'बददिल न होना, और न गम करना, अगर तुम मौमिन (नेक, ईमानदार) हो, तो तुम ही गालिब होगे।' आज की सोहबत खत्म हुई। मुझे जो कुछ कहना था वो कह चुका, लेकिन फिर कहता हूं और बार-बार कहता हूं अपने हवास पर काबू रखो। अपने गिर्द-ओ-पेश अपनी जिंदगी के रास्ते खुद बनाओ। ये कोई मंडी की चीज नहीं कि तुम्हें खरीदकर ला दूं। ये तो दिल की दुकान ही में से अमाल (कर्म) की नकदी से दस्तयाब (हासिल) हो सकती है।

(23 अक्टूबर, 1947 को जामा मरिजद में दिया गया भाषण 1)

स्रोत: आधुनिक भारत के निमार्ता: मौलाना अबुल कलाम आजाद,
लेखक: अर्स मलसियानी प्रकाशन विभाग।

जयप्रकाश नारायण आदि नेताओं से संबंधित प्रसंग के अलावे देशकाल एवं तत्कालीन परिस्थितियों पर चर्चा सुनना इन्हें भाता था। डॉ. लोहिया के विचार से ये इतने प्रभावित हुए कि गांव के दलित-पिछड़ा वर्ग के लोगों को सोशलिस्ट पार्टी से जोड़ने का प्रयास करने लगे।

डॉ. लोहिया भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति से बखूबी परिचित थे। सदैव वे इस समाज की चिंता में लीन रहते एवं इसके समाधान के विकल्प ढूँढते रहते थे। वह बिहार को समाजवाद के लिए उर्वर भूमि मानते थे। उनके ही प्रयास से यहां सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े सभी वर्गों के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी। सन 1951 में देश में प्रथम आम चुनाव की घोषणा के बाद तत्कालीन भागलपुर सह पूर्णिया लोकसभा सुरक्षित क्षेत्र से योग्य उम्मीदवार की खोज शुरू हुई। कांग्रेस के खिलाफ किन्हें मैदान में उतारा जाए इस पर विचार-विमर्श आरम्भ हुआ। सोशलिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता अपने-अपने हिसाब से डॉ. लोहिया को नाम सुझा रहे थे लेकिन उन्हें इनमें से कोई भी नाम जंचा नहीं। अंत में डॉ. लोहिया ने अपने कुर्ता की जेब से एक पर्जा निकालकर सभी के सामने रख दिया। किराई मुसहर का नाम देखकर सभी नेतागण चौंक गए। अपनी असहमती व्यक्त करते हुए सबने कहा, "डॉ. साहब क्या चुनाव लड़ने से पहले ही आप पार्टी को हराना चाहते हैं?" उन लोगों की ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी परन्तु डॉ. लोहिया ने तुरंत जवाब दिया, "चुनाव मात्र जीतने की इच्छा से ही नहीं लड़ना चाहिए। बिहार जैसे जातिवादी-सामंती पृष्ठभूमि से जुड़े प्रदेश में वंचित समुदाय के लोगों को सामने लाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। राजनीति में एक खास वर्ग के प्रभुत्व को समाप्त किये बगैर भारत का नवजात लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा।"

डॉ. लोहिया की यह बात सुनकर पार्टी के सभी नेताओं ने किराई मुसहर के नाम पर मोहर लगा दी। आश्चर्य की बात यह कि जब ये सभी योजनाएं बन रही थी उस समय किराई मुसहर वहां नहीं थे। वह अपने मालिक के खेतों में काम कर रहे थे। अपनी उम्मीदवारी की बात जब किराई को पता चली तो वे सहरसा पहुंचे और डॉ. लोहिया से बोले - "डाक्टर साहेब! हमरा एहेन हरबाहके दू बखतके रोटियो नीक जेका नहि भेटै छै। एहि दुआरे हम चुनाव लड़ि के अपन परिवारके बिपैतमे नहि डालि सकै छी।"

इस पर तपाक से डॉ. लोहिया बोले, "फैसला हो गया है और इसे बदला नहीं जा सकता। युग-युगान्तर की गुलामी के बाद देश में पहली बार आम चुनाव हो रहा है। समाजवाद के नाम पर हम आपकी बलि लेने आये हैं, यही समझिए। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो वंचित लोगों की राजनीति में भागीदारी का ये संदेश इसी बहाने बिहार समेत सम्पूर्ण देश में जाएगा। अगर आप हार भी जाते हैं तो भी एक सामाजिक प्रतिक्रिया होगी। चारों तरफ इसकी चर्चा होगी। इसकी दो झलकी मुझे साफ-साफ दिख रही है। पहली, सामंती मानसिकता के लोग सोशलिस्ट पार्टी से किनारा कर लेंगे। दूसरी, संभव है कि इस चुनाव के बाद सोशलिस्ट पार्टी आम जन की पार्टी हो जाएगी।" लोहिया की इन बातों को सुनने के बाद किराई मुसहर के पास चुनाव नहीं लड़ने का कोई बहाना एवं तर्क नहीं बचा। अंततः किराई मुसहर तैयार हुए। चुनाव के समय में महान समाजवादी भूपेन्द्र नारायण मंडल ने क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। चुनाव क्षेत्र-भ्रमण के लिए बैलगाड़ी थी एवं चुनाव प्रचार के लिए टिन से बनी भोंपू-बाजा का प्रयोग किया जाता। पार्टी, कार्यकर्ता एवं लोगों का सहयोग और विश्वास किराई को प्राप्त हुआ। देश में पहला आम चुनाव संपन्न हुआ। भागलपुर सह पूर्णिया सुरक्षित संसदीय क्षेत्र को किराई मुसहर के रूप में एक ऐसा सांसद मिला जिनके पास न तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि थी और न ही

धन- सम्पत्ति। ऐसी स्थिति में किराई का चुनाव जीतना एक बड़ी सफलता एवं सामाजिक परिवर्तन की झलक थी। निःसंदेह किराई मुसहर जैसे वंचित समुदाय के व्यक्ति को राजनीति में आगे लाने का यह एक महत्वपूर्ण कदम था। यही कारण था कि डॉ. लोहिया जीवनपर्यंत वंचित समुदाय को आगे की पंक्तियों में या बाकी लोगों के समक्ष खड़े होने की उद्यमिता में लगे थे।

सन 1952 में बरगद छप चिन्ह से चुनाव जीतने के बाद सांसद लोगों को लोकसभा की कार्यवाही के लिये दिल्ली जाना था। उस समय सांसद किराई के पास वहां पहुंचने के लिए उतने पैसे नहीं थे। पहली बार वे अपने गांव मुहो से इतनी दूर जा रहे थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंदा करके इनको रेल का भाड़ा एवं दिल्ली में ठहरने का इंतजाम किया। सामान के नाम पर इनके पास मात्र टिन से बनी एक पेटी थी जिसमें चिप्पी लगी जोड़ भर धोती-कुर्ता, गमछा एवं एक खदर की चादर थी। रास्ते में भूख से निपटने के लिए इनकी पत्नी अजनासी देवी ने सत्तु, नमक, मिर्च सब एक पोटली में बांधकर दी। सहरसा स्टेशन पर गाड़ी चढ़ाने के लिए सोशलिस्ट पार्टी के कुछ नेता आये। सामंती लोग इनके ऊपर तंज कस रहे थे-"देखो, मुसहरबा आब नेता बन गया है।" इससे स्टेशन पर किराई बहुत असहज हो गये थे। कुछ देर बाद गाड़ी आई। साथ आये नेताओं ने इनको गाड़ी में चढ़ा दिया। आंशका एवं जातिगत हीनताक कारण ट्रेन में वे अपने सीट पर बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। करीब बारह सौ किमी. की सफर उन्होंने ट्रेन की फर्श पर बैठकर तय की।

यहां ध्यान देने की बात यह है कि सहरसा से दिल्ली तक की ये कष्टप्रद यात्रा वे कोई शौक या दिखावे के लिये नहीं की थी। इसके पीछे तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था थी जो मिथिला समेत सम्पूर्ण देश में प्रचलित थी। उच्च जाति के समक्ष किसी दलित का खाट एवं कुर्सी पर बैठना जुर्म था। इसी कारण सांसद चुने जाने के बाद ट्रेन में अपनी सीट पर बैठने की हिम्मत नहीं कर पाये थे।

संयोग देखिए, जिस व्यक्ति को ट्रेन में सीट पर बैठने की हिम्मत नहीं हुई थी वही व्यक्ति संसद में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष बैठा। जिस वर्ग के लोग कभी गांव में उच्च जाति के सामने अपना मुंह नहीं खोल सकते थे वही कोसी अंचल की आवाज बने। कष्टमय यात्रा करके किराई जब लोकसभा कार्यवाही में हिस्सा लेने संसद भवन पहुंचे तो वहां अन्य सांसद लोगों का परिधान देख बहुत असहज हो गये। लोकसभा में अधिकांश ऐसे लोग सांसद बने थे जिनका संबंध किसी राजघराना एवं बड़े जमींदार परिवार से था। जहां वे लोग फराटेंदार अंग्रेजी बोल रहे थे वहीं किराई अपनी मातृभाषा मैथिली ही बोल पाते थे। एक दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी की नजर सदन के किनार में बैठे किराई की तरफ गई। वे विनम्रतापूर्वक इनसे पूछे, "किराई जी आप बिहार के किस क्षेत्र से आते हैं, वहां की क्या-क्या समस्याएं हैं? हिंदी बोलने में असमर्थ किराई सकुचाते हुए मैथिली में पंडित नेहरू से बोले- "पंडीजी हम्मर गाम आ इलाका के दलित लोक वैह खददा सँ पानि पीबै छै जाहिमे कुकूर आ सुग्गर सेहो पानि पीबैत छै तँ कऽल वा इनारक व्यवस्था कएल जाऊ।" इसके अलावे वे कोसी नदी में आने वाली सालाना बाढ़ एवं इससे फैलने वाली हैजा, मलेरिया आदि बीमारियों से त्रस्त हैं। इसके बाद सरकार द्वारा मलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया गया। माना जाता है कि प्रसिद्ध कोसी परियोजना के निर्माण की प्रेरणा किराई मुसहर की उसी व्यथा का प्रतिफल है।

1962 में समाजवादी पार्टी द्वारा भाषा नीति के अंतर्गत अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया गया था। जिला स्तर पर यह एक बड़ा आंदोलन था।

इस आंदोलन में सरकारी पद जो अंग्रेजी में लिखा रहता था उसे अलकतरा से पोत दिया जाता था। कार्रवाई में भूपेन्द्र नारायण मंडल, विनायक यादव, परमेश्वर कुंवर, शशिकांत झा, अम्बिका प्रसाद सिंह, राधाकान्त यादव, वैद्यनाथ मेहरा, शिवनन्दन राय, सहदेव गुप्ता, ब्रह्मदेव साहब, किराई मुसहर समेत 115 लोग गिरफ्तार हुए। संसद में मैथिली बोलने वाले संभवतः ये पहले सांसद थे। कभी संसद में मैथिली बोलने में शर्माये नहीं जबकि इस बात की संभावना तो जरूर रही होगी कि टूटी-फूटी हिंदी सीख सकते थे मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया।

ईमानदारी के प्रतीक सांसद किराई अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाए। जब तक सांसद रहे सड़क से सदन तक हमेशा आमजन की समस्या को उठाते रहे। कहा जाता है मधेपुरा प्रखंड के हनुमान नगर गांव में सड़क नहीं थी। वहां के कुछ ग्रामीणों ने आकर इनसे अपनी व्यथा सुनायी। किराई ने अपने कुछ अर्जित जमीन देकर एवं जनसहयोग के माध्यम से सड़क बनवा दिया। उस समय सांसद निधि कोष की व्यवस्था नहीं थी। अपने वेतन भत्ता का कुछ हिस्सा क्षेत्र के बीमार एवं गरीबों में बांट देते थे। लाल बहादुर शास्त्री भी इन्हें खूब मानते थे। 18 अगस्त 1965 ई. को इनका देहावसान हो गया। 23 नवंबर 1965 को लोकसभा में डॉ. राममनोहर लोहिया ने इनकी मृत्यु पर आयोजित एक शोकसभा में कहा था, “अध्यक्ष महोदय! एक हमउम्र और जानदार मित्र की मृत्यु पर कितनी यादें आती हैं और कितनी तकलीफें होती हैं। मैं इस सदन को केवल इतना ही बताऊं कि जब श्री किराई सांसद चुने गये थे तो पहली मर्तबे रेल के डिब्बे में अपनी जगह पर नहीं बैठे, फर्श पर बैठे। वह ऐसी जमात से आये थे। लेकिन फिर बाद में उनमें स्वाभिमान बढ़ता गया, जानदारी में बढ़ते गए और मैं समझता हूं कि ऐसे जानदार समाजवादी, जिनको हम कहा करते हैं जन्मजात समाजवादी, बहुत कम देखने को मिले हैं। इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करूँ कि जहां भारत में और सब कमियां रही हैं, यह खुशी की बात रही कि जो दबे हुए लोग हैं, हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा, औरतें, उनमें पिछले अद्भुत वर्षों में धीरे-धीरे कुछ निर्भीकता और कुछ स्वाभिमान जागा है। आखिर में मैं खाली एक अफसोस जाहिर कर दूँ कि वह कल्ल-अज-वक्त मौत कुछ अभाव के कारण हुई जिसको हमलोग अपनी सीमित शक्ति के कारण दूर नहीं कर सके और एक बहुत शानदार दोस्त अपना चला गया।”

जिस किराई मुसहर जी की आवाज कभी गरीबों का स्वर बनकर लोकसभा में गुंजता था, जिनका हाथ सदैव दीन-दुखियों के लिए उठता था आज उनके परिवार की सुधी लेने वाला कोई नहीं है। कितनी सरकारें आईं और चली गईं मगर किसी का ध्यान इनके परिवार की तरफ नहीं गया। आज इनके परिवार के सदस्य किसी तरह मजदूरी करके गुजर-बसर कर रहे हैं। वे बॉस-फूस एवं टिन से बनी घर में रहने को बेबस हैं।

आज जब भारतीय राजनीति में धनोपार्जन, सत्ता से सटे रहने की लालसा, धनबल की बहुलता, पूंजीवादी तंत्र, नैतिक पतन एवं वैचारिक शून्यता हावी हो गई है, ऐसे में समाजवाद के गर्भ से उपजी ऐसी महान आत्माएं अपन सत्कर्म, ईमानदारी, तार्किक सोच एवं आत्मबल के कारण सदैव स्मरित होते रहेंगे।



स्मृति शेष धनिक लाल मंडल

(जन्म 30 मार्च 1932 - मृत्यु 13-नवंबर-2022)



Tejashwi Yadav

@yadavtejashwi

हरियाणा के पूर्व राज्यपाल एवं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री धनिक लाल मंडल जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। वो एक कुशल राजनेता और प्रशासक थे। उनके निधन से बिहार के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। (तेजस्वी यादव)।

‘राजद समाचार’ वयोवृद्ध समाजवादी नेता धनिक लाल मंडल की स्मृति को नमन करता है। उनके व्यक्तित्व-कृतित्व को समेटता विशेष आलेख पढ़ें अगले अंक में : सम्पादक

पेज 3 का शेष भाग

पढ़ने का अवसर मिला। विधानसभा में विश्वास मत पर तेजस्वी यादव, फासीवाद पर उदय नारायण चौधरी, नारायण गुरु पर सिद्धार्थ रामू, पेरियार पर ओमप्रकाश कश्यप, पेरियार ललई सिंह पर वीरेंद्र यादव, पेरियार की जीवनी पर कमलेश वर्मा, पक्षधर के ग्राम्सी अंक पर सौरभ राय, अवध बिहारी चौधरी पर डॉक्टर दिनेश पाल, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे पर प्रोफेसर डी.के. पाल तथा प्रदीप गिरि पर यशवंत गिरी आदि लेखों का संकलन इस अंक में किया गया था। एक प्रकार से इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो अन्याय, अस्मिता तथा लोकतंत्र के लिये संघर्ष करने वालों की मुखर आवाज बनने का प्रयास है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में यह पत्रिका अन्य महत्वपूर्ण विषयों और अपने लेखों के माध्यम से जनता में अपनी पैठ बनाएगी। इस पहल के लिए मैं संपादक, प्रकाशक, संपादक मंडल तथा लेखकों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

डॉ संदीप कुमार यादव


सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग
जगलाल चौधरी महाविद्यालय, छपरा।

साहित्य में पिता

हिन्दी साहित्य के विकास में लघु पत्रिकाओं का अमूल्य योगदान रहा है। लेकिन विकसित होते संचार के साधनों के कारण उनके बंद होने की खबरें लगातार आती रहती हैं। ऑडियो विजुअल माध्यमों ने किताबों की पठनीयता को प्रभावित किया है। ऐसे समय में निश्चित ही वैसी पत्रिकाओं की महत्ता बढ़ जाती है, जो धैर्य एवं समर्पण के साथ साहित्य के विस्तार एवं विकास के कार्यों में लगी हुई हैं। ऐसी ही एक पत्रिका है 'किस्सा'। यह बिहार से निकलनेवाली उन चुनिंदा पत्रिकाओं में से है जिसने समय के साथ अपने को समृद्ध किया है। यह बिहार के भागलपुर से निकलती है। स्व. शिव कुमार 'शिव' के संपादन में शुरू की गई यह पत्रिका उनके निधन के पश्चात उनकी सुपुत्री अनामिका 'शिव' के कुशल संपादन में नित्य आगे बढ़ रही है। इस पत्रिका का टैगलाइन है-समकालीन कथा-साहित्य सृजन का मंच। यानी मुख्यतः कथा साहित्य पर केन्द्रित पत्रिका। इसके नये एवं पिछले अंकों पर दृष्टिपात करें तो हमें इसमें लघुकथा, संस्मरण, आलेख, कविताएं, पुस्तक समीक्षा और पाठकों की टिप्पणियों का अनूठा संयोजन मिलता है। समकालीन साहित्य पर केन्द्रित पत्रिका होने का मतलब ही है कि इसमें नये रचनाकारों को जगह मिलती है तथा उसपर बात की जाती है।

किस्सा 31 अंक, पिछले स्त्री विमर्श विशेषांक से अलग पिता पर केन्द्रित है। एक ऐसा पात्र जिसे प्रायः उपेक्षित छोड़ दिया जाता है। पितृसत्ता के संवाहक माने जाने वाले पिता की भूमिका आज परिवार में कितनी बदली है, अगली पीढ़ी की स्मृतियों में वे किस तरह संरक्षित हैं, पुत्रों एवं पुत्रियों में वे कितने रचे-बसे हैं आदि पर विचार करती हुई पत्रिका का यह अंक संग्रहणीय बन पड़ा है। पिता पर केन्द्रित संस्मरणों की बात करें तो इसमें मन्नू भंडारी, मालती जोशी, नमिता सिंह, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला, पुष्पा भारती, संतोष श्रीवास्तव, कमलेश पाठक, सुदर्शना द्विवेदी, तनूजा शंकर खान, अग्निशेखर एवं श्रेयस सिंघानिया की रचनाएं हैं जिनमें पिता अपनी विभिन्न भूमिकाओं एवं स्वरूपों में दिखते हैं। स्पष्ट है कि अधिकांश संस्मरण पुत्रियों के हैं। संपादक की सोच होगी कि पिता की स्मृतियों को वे लोग सामने लायें जिन्हें पितृसत्ता से सर्वाधिक पीड़ा पहुंचती है। इन संस्मरणों को पढ़ते हुए पता चलता है कि पिता आज पुत्रियों के आगे बढ़ने में मददगार साबित हुए हैं तथा स्त्रियों को पहले से अधिक स्वतंत्रता मिली है। उनकी अभिव्यक्ति को घर में दबाया नहीं जाता है तथा उनके सपनों की उड़ान में पिता आगे आ रहे हैं। हां, यह बात भी सामने आई है कि पिता सामाजिक रूप से उदार हैं तथा सहयोगात्मक रवैया है, लेकिन वही पिता घर में अनुदार हो जाते हैं। कभी-कभी तो क्रूरता की सीमा तक पार कर जाते हैं। स्त्री उनकी सेवा अपना कर्तव्य मानकर किए जा रही थी, लेकिन आज उसमें काफी बदलाव आ गया है।

मन्नू भंडारी लिखती हैं कि पिता अंत समय तक भी मां की जिंदगी भर की गई सेवा के लिए अपनी कृतज्ञता जता सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी सोच, उनकी चिंता तो देश के साथ जुड़ी थी। ठीक ही तो है, जिन लोगों के सरोकार बड़े सन्दर्भों के साथ जुड़े रहते हैं, परिवार वाले तो हमेशा उपेक्षा का पात्र रहने के लिए अब अभिशास होते हैं। वहीं मां के लिए पिता की यह निर्भरता उनके प्रेम का प्रतीक थी तो रात-दिन पति की



पत्रिका का नाम - किस्सा

संयुक्तांक (मई-जून-जुलाई, 2022)

अंक -31 (सिर्फ पिता)

कुल पृष्ठ - 200

संपादक - अनामिका शिव

सहयोग राशि - 100 रुपये


संपादकीय कार्यालय - मंजू विला, मारवाड़ी व्यायामशाला के बगल वाली गली, खरमनचक रोड, भागलपुर, पिन - 812001

ईमेल-kissapatrika@gmail.com

मोबाइल - 07488141730

सेवा में लगे रहने को मां ने कभी अपनी मजबूरी नहीं समझा! यह शायद पति के लिए उनका गहरा प्रेम था। वहीं मालती जोशी लिखती हैं कि महिलाओं के प्रति पिता का दृष्टिकोण बहुत उदार था। नमिता सिंह पिता को अपना पहला गुरु मानती हैं। सुधा अरोड़ा अपने अंदर पिता को जिंदा पाती हैं तो यह बदलते समय में पिता की बदली हुई भूमिका ही तो है। अन्य सभी संस्मरणों से यही पता चला कि पिता अपनी पुत्रियों के आदर्श बनते

पितृसत्ता की शिनाख्त



पुस्तक : व्हाय आय एम नॉट अ हिन्दू वुमन

लेखक : वंदना सोनलकर

प्रकाशक : वीमेन अनलिमिटेड पब्लिकेशन

पेज: 176

मूल्य: 350

व्हाय आय एम नॉट अ हिन्दू कांचा आयलैया की चर्चित किताब रही है। बर्टेंड रसेल की व्हाय आय एम नॉट अ क्रिश्चियन, और इल्न बराक की व्हाय आय एम नॉट अ मुस्लिम पुस्तक भी अपने अपने समय में पाठकों के बीच चर्चित रही है। कांचा गैर ब्राह्मण स्पेस से आते हैं, गड़ेरिया समुदाय से। उनके हिन्दू न होने के आधार अलग हैं और वन्दना सोनलकर के अलग। वंदना उच्चवर्गीय, वर्णीय, कायस्थ महाप्रभु परिवार से आती हैं। कुनबी (ओबीसी) से शादी की हैं। उन्होंने किताब में निजी अनुभवों और सार्वजनिक माहौल के आधार पर अपने हिन्दू स्त्री न होने के कारण बताये हैं। उन कारणों में है हिन्दू धर्म और इसे मानने वाले परिवारों में, खासकर ब्राह्मण और उनके समकक्ष कायस्थ महाप्रभु जैसे समुदायों के परिवारों में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के नियंत्रण, स्त्रियों का सबजुगेशन और उन्हें खास किस्म के दायित्व और गिल्ट बोध में डालने की व्यवस्था, श्रेणीबद्ध जाति और दैनंदिन की छुआछूत, दूसरे धर्म के प्रति अदरिग और उनके प्रति आक्रामकता, राजनीतिक हिन्दुत्व आदि। जिस कायस्थ महाप्रभु (सीकेपी) जाति से लेखिका आती हैं, उसी से महाराष्ट्र का एक राजनीतिक परिवार आता है, बाला साहेब ठाकरे का परिवार। अपनी राजनीति के अंतिम और लम्बे पड़ाव में बाला साहेब ने उग्र हिंदुत्व की राह ली, उसके पहले वे मराठी अस्मिता और अति पिछड़ी व दलित जातियों को आधार बनाकर राजनीति कर रहे थे। ठाकरे परिवार में प्रबोधनकार ठाकरे प्रगतिशील रहे हैं और हिन्दू पोगापंथ के आलोचक।

इस किताब में वंदना सोनलकर ने प्रबोधनकार ठाकरे के भी दादा जी को जातिवाद के खिलाफ बताया है। यानी ब्राह्मणों की तुलना में यह थोड़ी आधुनिक जाति जरूर है, लेकिन ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की वाहक भी। वंदना के पिता बैंक अधिकारी के रूप में भारत से बाहर कार्यरत थे। वंदना उसी परिवेश में पली-बढ़ी थीं। थोड़े प्रगतिशील पिता के इलीट व्यवहार और पुरुष होने के कारण उनको मिले विशेषाधिकार को वे समझती रहीं। पिता के जीवन में दूसरी स्त्री के आते ही उनकी मां और अधिक पूजा पाठी हो गयी थीं। पिता के इस व्यवहार का भी बोझ मां को ही ढोना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि यह सब हिन्दू फोल्ड के कारण ही है सिर्फ। लेकिन पितृसत्ता और धर्म आपस में बेहद गुथमगुथ हैं। आज के आक्रामक हिंदुत्व ने जिस तरह मुसलमानों की अदरिग कर रखी है, उसकी जड़ें भी हिन्दू धर्म के भीतर के जातिवाद में भी है। वंदना उस आक्रामकता को भी चिन्हित करती हैं। वे जिस कॉलेज में पढ़ाती रही हैं वहां राव साहेब कसबे सहित अनेक पुरोगामी लेखक, एक्टिविस्ट पढ़ाते रहे हैं और उनके साथ अम्बेडकरवादी आंदोलनों से जुड़े भी रहे हैं। उन्होंने बदलते औरंगाबाद में एक खास किस्म का घेठो बनते भी देखा। धार्मिक घेठो। सही समय है यह किताब पढ़ने का। वैचारिक मुकाबला तो हिन्दुत्व और आरएसएस से महाराष्ट्र में ही है। कांचा की किताब में बहुजन दृष्टि है, इस किताब में मार्क्सवादी। हालांकि वंदना आम्बेडकरवादी आन्दोलन से जुड़ी रही हैं।

जा रहे हैं और धीरे-धीरे पितृसत्ता के नख-दंत गायब हो रहे हैं। यह आनेवाले अच्छे समय की आहट है।

महेश दर्पण, राजेन्द्र दानी, रजनी गुप्त, सुरेश उनियाल, सुधांशु गुप्त, लोकबाबू, रंजना जायसवाल, शिव कुमार 'शिव', अर्चना सिन्हा, कविता वर्मा, प्रज्ञा, मंजूश्री, मनीष वैद्य, विवेक द्विवेदी, सुबोध सिंह शिवगीत, गीताश्री तथा अखिलेश पालरिया की कहानियां इस अंक में संकलित हैं। उनकी कहानियों में पिता के चरित्र के विभिन्न शेड्स आये हैं। कहीं संघर्ष कर रहे पिता अपने घर की नींव बन रहे होते हैं तो कहीं वे कड़ी धूप से सुरक्षा देते बरगद के वृक्ष की तरह खड़े हैं। जब पिता अनुपस्थित हो जाते तो बच्चे दूसरे संबंधों में अपने पिता ढूंढते हैं। यह बताता है कि पिता जीवन के लिए अनिवार्य जल एवं वायु की तरह हैं। दम्पति में खटपट होने के बावजूद पिता अपनी भूमिका नहीं भूलते हैं। पिता हिमालय की तरह हो जाते हैं। हिमालय अडिग रहता है ताकि उसपर बहनेवाली नदियां प्रवाहमान रह सकें। यह अभिव्यक्ति मूक रहती है, इस कारण शायद पिता उतनी हमारी बातों में नहीं होते जितनी मां होती हैं। समय बदल रहा है। हर व्यक्ति जिंदगी की अंधी दौड़ में शामिल है। इसी दौड़ के कारण पारिवारिक संबंध टंडे पड़ते जा रहे हैं। वहीं कुछ अपना जीवन जीना चाहते हैं। जब भी होश आता है वे इस दौड़ से अलग हो लेते हैं। जैसे गीताश्री की कहानी 'पापा जल्दी आ जाना' के पिता-आखिर में सेवानिवृत्ति के पश्चात अपनी जिंदगी जीने परिवार से अलग चले जाते हैं। पुत्री को एहसास है कि मां और पिता के संबंध में एक जड़ता आ गई थी। मां का भी कोई आग्रह नहीं होता है उन्हें रोकने का। नई जेनरेशन के युवा पिता की प्रेमिका को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। इसी तरह कई रंगों में पिता अंक की कहानियों में चित्रित हुए हैं।

'रूपहले परदे पर पिता' नाम से एक अध्याय विजय शर्मा द्वारा लिखी गई है। इसमें वे हिंदी, अंग्रेजी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों की चर्चा करती हैं जिनमें पिता को अलग-अलग शेड्स में दिखाया गया है। कुछ कविताएं हैं अंक में, जिनमें पिता होने की जिम्मेदारी, एक पीढ़ी द्वारा अपनी स्मृतियों में पिता को रेखांकित करने का अद्भुत चित्रण है। निर्मला डोसी, रामस्वरूप दीक्षित, रामकुमार कृष्क, ध्रुव गुप्त तथा प्रकाश देवकुलिश की कविताएं पिता के संदर्भ में अपनी अभिव्यक्ति के साथ न्याय करती हैं। अपने आकर्षक कलेवर एवं कंटेंट की बदौलत यह पत्रिका हिन्दी साहित्य में अपने तेवर एवं कलात्मकता के लिए जानी जाएगी। देश से प्रकाशित लघु पत्रिकाओं में इसका स्थान महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि अपने स्तर को बनाये रखने के साथ ही साहित्य के प्रसार में यह सहायक बनेगी।


(लेखक हिन्दी के महत्वपूर्ण कवि, समीक्षक हैं।)

मैनेजर पांडेय : एक पूर्णकालिक आलोचक

प्रोफेसर मैनेजर पांडेय की मृत्यु हम सबकी व्यापक क्षति है। आलोचक के मरने पर आमतौर पर लोग वैसे ही दुःखी हैं जैसे अन्य किसी की मृत्यु पर दुःखी होते हैं। लेकिन मैनेजर पांडेय की मौत नहीं हुई है, वे अपनी सुनियोजित आलोचना दृष्टि और आलोचना ग्रंथों से हिन्दी आलोचना को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, उसे देखने, समझने और विकसित करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मेरे लिए वह एक महज आलोचक नहीं हैं बल्कि हिन्दी के कम्प्लीट आलोचक हैं। फेसबुक पर जिस तरह से उनके शिष्यों, परिचितों और साहित्यानुगियों ने लिखा है, वह श्रद्धांजलि के अनुसार तो ठीक है, लेकिन एक कम्प्लीट आलोचक की मृत्यु के अनुसार अधूरा है। आलोचक कभी मरता नहीं है। कम्प्लीट आलोचक तो एकदम नहीं मरता। आलोचक का जीवन तो आलोचना है। आलोचना उसे दीर्घकाल तक ज़िंदा रखती है। उनकी पहचान आलोचना से बनी थी न कि प्रोफेसर की कुर्सी से। आमतौर पर कुर्सी गई प्रोफेसर खत्म। इन दिनों हिन्दी प्रोफेसरों का जो हाल है वह बेहद चिन्ताजनक है, इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो मैनेजर पांडेय के छात्र रहे हैं। उनकी मौत पर दुःख व्यक्त कर रहे हैं लेकिन आचरण में वे पांडेय जी से एकदम भिन्न व्यवहार कर रहे हैं। लोकतंत्र में आलोचक अपना संसार बहुत ही जटिल परिस्थितियों में रचता है। सत्ता के दबाव, लोभ, इनाम और कैरियर की चतुर्मुखी भूख ने इन दिनों हिन्दी जगत ही नहीं समूचे भारतीय भाषाओं के जगत को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अधिकांश प्रोफेसर-लेखक इस चतुर्मुखी भूख से लड़ना नहीं चाहते, उससे लड़ने की कला सीखना नहीं चाहते। मैनेजर पांडेय ने अपने तरीके से इस चतुर्मुखी भूख से लड़ने का बौद्ध उठाया और उसमें वह सफल हुए। विनम्रता से दर्ज करना चाहता हूँ कि नामवर सिंह ने बाधाएं न खड़ी की हों तो मैनेजर पांडेय कुछ और भी अधिक कर पाते। गैर-अकादमिक कारणों से पांडेय जी को नामवर जी ने समय पर प्रोफेसर नहीं होने दिया। तरह-तरह से आए दिन अलोकतांत्रिक आचरण किया। इसके बावजूद मैनेजर पांडेय ने अपने सभ्य आचरण में बदलाव नहीं किया। नामवर सिंह के प्रति कटुता या शत्रुता पैदा नहीं की।

आलोचक का सभ्यता अर्जित करना और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता अर्जित करना ये दो बड़े काम हैं। पांडेय जी को ये दो लक्ष्य अर्जित करते हुए किस तरह के आत्मसंघर्ष से गुजरना पड़ा था, उनमें से कुछ क्षणों या घटनाओं का मैं स्वयं गवाह रहा हूँ। मैंने नामवर सिंह और मैनेजर पांडेय के विचारों की भिड़न्त में अनेक मर्तबा नामवर सिंह को सामंत की तरह आचरण करते पाया है और पांडेय जी को लोकतांत्रिक पाया है।

नामवर सिंह का मैं जानबूझकर जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि नामवर सिंह को जिस तरह पांडेय जी की आलोचक के रूप में मदद करनी चाहिए थी, उनके लेखन पर लिखना चाहिए था, विभाग में उनके कैरियर के विकास में जिस तरह की मदद करनी चाहिए थी, वह नहीं की जबकि पांडेय जी हमेशा नामवर जी का सम्मान करते थे, उनकी आलोचना पर सम्मानजनक ढंग से बोलते थे। एक वाक्या बताना जरूरी है। यह घटना सन 1980 की है। नामवर जी के पैर में जेएनयू में सुबह घूमते हुए गहरी चोट लग गई थी, इसके कारण वे विभाग में कक्षा लेने नहीं आ सकते थे। उन्होंने सुझाव दिया



मैनेजर पांडेय : मार्क्सवादी आलोचना के शिखर

कि विद्यार्थी घर आकर कक्षा कर लें। अधिकांश छात्र इसपर सहमत हो गए, मैं निजी तौर पर इसके खिलाफ था। मैंने कहा था कि घर जाकर कक्षा नहीं करूंगा। विभाग में ही किसी शिक्षक को नामवर सिंह का कोर्स पढ़ाने के लिए दे दिया जाए। इस पर नामवर जी मुझ पर नाराज हो गए। मेरा एम. ए. का दूसरा सेमेस्टर था। कोर्स था 'मार्क्सिस्ट एप्रोच टू लिटरेचर'। अंत में मैनेजर पांडेय को यह कोर्स पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी गई। मजेदार बात यह है कि इसके पहले नामवर जी ही इसे पढ़ाते आ रहे थे, पहली बार पांडेय जी को मार्क्सवाद पढ़ाने का मौका मिला। हम लोगों ने उनसे ही मार्क्सवाद पढ़ा। नामवर जी ने पढ़ाने के लिए बेहतरीन कोर्स अपने नाम रखे हुए थे। खैर, इसके बाद अनेक चीजें घटीं, जिनसे अपने शिक्षकों के व्यक्तित्व और चारित्रिक वैशिष्ट्य को समझने का अवसर मिला।

मैं एक साल (1980-81) कौंसलर थे। इस दौरान मुझे निजी तौर पर उनसे अनेक बार मूल्यवान मदद मिली। एक वाक्या याद आ रहा है। स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज (भाषा संस्थान) के डीन थे नामवर जी। बोर्ड ऑफ स्टडी की एक जरूरी बैठक हुई, जिसमें दस साल के भाषा संस्थान के विभिन्न भाषाओं के पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करके नया पाठ्यक्रम बनाना था। हम सब पांचों छात्र प्रतिनिधि उसका अंग थे। उन दिनों सोनिया सुरभि गुप्ता कौंसलर कन्वीनर थीं, जो इन दिनों जामिया मिलिया में स्पेनिश की प्रोफेसर हैं। मैं निजी तौर पर पांडेय जी के पास गया और विभिन्न विषयों के विभागों के कोर्स के प्रसंग में बातचीत की। वे बोर्ड के सदस्य नहीं थे। उल्लेखनीय है भाषा संस्थान में हिंदी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, भाषा विज्ञान, जापानी, कोरियाई, चीनी, दर्शन आदि की पढ़ाई और रिसर्च होती थी। प्रोफेसर सदस्य होते थे। पांडेय जी के अलावा जिस शिक्षक से विचार विमर्श में मदद ली वह थे जर्मन भाषा के प्रोफेसर अनिल भट्टी। उस विचार विमर्श के दौरान पांडेय जी के व्यापक अध्ययन का पहली बार अनुभव हुआ, उनके सुझावों से हमें बहुत मदद मिली।

आज स्थिति यह है कि हिंदी के प्रोफेसर ठीक से हिंदी का ही पाठ्यक्रम

बनाना नहीं जानते। कालांतर में पाठ्यक्रम में गिरावट जेएनयू में भी देखी गई। खैर, वह एक अलग विषय है। कहने का आशय यह कि पांडेय जी विभिन्न भाषाओं में लिखे जा रहे महत्वपूर्ण लेखन से वाकिफ ही नहीं थे, उसको पढ़ा भी था। अपने साढ़े छह साल के जेएनयू छात्र जीवन में मैंने अनेक मर्तबा मैनेजर पांडेय जी को जिस रूप में आचरण करते देखा, वह स्वयं में प्रशंसनीय है और हम सबके लिए आदर्श है। कई बार ऐसी अवस्था हुई जब जेएनयू प्रशासन के खिलाफ हम छात्र आंदोलन करते थे, हमें पांडेय जी का बिना शर्त समर्थन मिलता था। वहीं दूसरी ओर नामवर सिंह और केदारनाथ सिंह ने कभी छात्रों की मांगों, उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं की। मुझे एक अन्य घटना याद आ रही है। यह घटना भारत के विश्वविद्यालय इतिहास की महानतम घटना है। मई सन 1983 में छात्रों का व्यापक आंदोलन हुआ। कुलपति का घेराव घर पर चल रहा था। सभी प्रमुख प्रगतिशील प्रोफेसर एकजुट होकर वीसी पीएन श्रीवास्तव के समर्थन में थे। चंद प्रोफेसर थे जो छात्रों के साथ थे। उनमें मैनेजर पांडेय भी शामिल थे। उनके अलावा जीपी देशपांडे, पुष्पेश पंत, गिरिजेश पंत, प्रभात पटनायक, उत्सा पटनायक, हरिवंश मुखिया, सुदीप कविराज भी छात्रों की मांगों का समर्थन कर रहे थे। आधिकारिक तौर पर सीपीआई शिक्षक लॉबी वीसी के साथ थी। ये सभी लोग अंतरराष्ट्रीय राजनीति, समाज विज्ञान में प्रोफेसर थे। सभी प्रतिक्रियावादी-आरएसएस वाले भी वीसी के साथ थे, इनमें अधिकांश साइंस स्कूलों में प्रोफेसर थे। हिंदी में नामवर सिंह खुलकर वीसी का समर्थन कर रहे थे, यह उनका घोषित सबसे बुरा राजनीतिक आचरण था। ये बातें लिखने का आशय किसी शिक्षक का अपमान करना नहीं है, सिर्फ एक बात रेखांकित करना है कि प्रोफेसर के सही नजरिए की पहचान की कसौटी है छात्र संकट के समय उसका आचरण। छात्र संकट के समय वह किसकी ओर है? जेएनयू में उन दिनों अधिकांश प्रोफेसर संकट की घड़ी में सत्ता के साथ जुड़े रहते थे। मई 1983 की घटना भारत के विश्वविद्यालयों के इतिहास में असाधारण दमन-उत्पीड़न की घटना है। इसे सामान्य घटना के रूप में न देखें। जेएनयू अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। पांच हजार पुलिसकर्मियों की फौज ने कैम्पस घेरकर वीसी के घेराव को तोड़ा जबकि घेराव शांतिपूर्ण था। शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन पर हमला विरल घटना थी। एक साल के लिए जेएनयू में नए सत्र के दाखिले नहीं लिए गए। सभी नीतियां बदल दी गईं। कैपस में तानाशाही नियम लागू कर दिए गए। सभी विद्यार्थियों को चौबीस घंटे में हॉस्टल खाली करने का आदेश जबरिया लागू किया गया। देखते ही देखते पूरा कैपस श्मशान में तब्दील कर दिया गया। तकरीबन चार सौ छात्र गिरफ्तार करके तिहाड़ में 15 दिन के लिए बंद कर दिए गए, उनमें नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजित बैनर्जी भी शामिल थे। ऐसे प्रतिभाशाली छात्र भी थे जो बाद में आईएस बने।

इन सभी 400 छात्रों पर 18 से अधिक धाराओं में झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए जबकि उनका कोई अपराध नहीं था। वे बसत विहार पुलिस स्टेशन जुलूस लेकर गए थे और मांग कर रहे थे कि घेराव को तोड़ने के नाम पर पुलिस ने जिन 31 छात्रों को गिरफ्तार किया है, उनको तुरंत छोड़ा जाए। मैं उन दिनों एसएफआई जेएनयू यूनिट का अध्यक्ष था। सभी संगठनों के छात्र नेता, छात्रसंघ की लीडरशिप तिहाड़ जेल में बंद थे। छात्र नेताओं में मैं अकेला बाहर था। यह संगठन का फैसला था कि यदि गिरफ्तारी होती है तो मुझे बाहर रहकर छात्रों को संगठित करना है, जमानतें करानी होंगी। हमलोगों ने कठिनतम परिस्थितियों में उस आंदोलन को बाहर ज़िंदा रखा। इसके वाबजूद ज़िंदा रखा जबकि कैपस खाली हो चुका था। उस संघर्ष के दौरान मैनेजर पांडेय उन चंद शिक्षकों में थे जिन्होंने छात्रों के आंदोलन

का समर्थन किया था। उस आंदोलन में शामिल छात्रों पर जो मुकदमे चले उनमें मैं, सहयोगी छात्रों के साथ लगातार अदालत जाता रहा। हमें दो साल लगे उन मुकदमों को खत्म करने में। मैं जब 1984 में छात्रसंघ अध्यक्ष बना तब वीसी पीएन श्रीवास्तव को मुकदमे वापस लेने के लिए मजबूर करने में सफलता मिली। स्थिति की भयावहता का अंदाजा इससे लगाएं कि कैपस में चंद शिक्षकों को छोड़कर सभी प्रोफेसर वीसी के साथ थे। आंखें बंद करके उनका समर्थन कर रहे थे। उस समय आतंक का आलम यह था कि सारे नियम, यहां तक कि दाखिला नीति तक बदल दी गई थी। बड़ी संख्या में छात्रों को निष्कासित किया गया। छात्र जुलूस में नहीं आते थे। स्थिति की भयावहता का आलम यह था कि जुलूस में मुश्किल से पांच-सात छात्र आते थे, सभी संगठनों के सदस्यों में आतंक का व्यापक असर था, आंदोलन पर से आस्थाएं उठ गई थी। ऐसी परिस्थितियों में कैपस और छात्र आंदोलन को पुनःजीवंत बनाना सबसे कठिन काम था। छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना मुश्किल काम था लेकिन हमने वह सब किया जो जेएनयू के गौरव को पुनः पाने के लिए जरूरी था। इस काम में हमें जेएनयू के पूर्व छात्रों की बहुत मदद मिली। यहां उनके नाम नहीं लिख रहा हूँ लेकिन उनकी अकल्पनीय मदद और चंद जुझारू प्रतिवादी प्रोफेसरों की मदद के बिना जेएनयू के गौरव को नए सिरे से स्थापित करना संभव नहीं था। इस घटना को अधिकतर नए छात्र नहीं जानते। वे सिर्फ कन्हैया कुमार कांड जानते हैं। मोदीयुग में जितने हमले हुए हैं उनका जिस बहादुरी से सामना छात्रों-शिक्षकों ने किया है वह प्रेरणा की चीज है, पर पुराने संघर्षों को नहीं भूलना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मैनेजर पांडेय ने पश्चिम की आलोचना, खासकर साहित्य के समाजशास्त्र पर मूल्यवान किताब लिखी। यह सभी भारतीय भाषाओं में अनूठी किताब है। कविता और किसान के अंतर्संबंध की मध्यकाल में सबसे पहले खोज की और सूरदास के काव्य और किसानों से जोड़कर रिसर्च की।

अवधारणा में लिखने की परंपरा का विकास किया। पांडेय जी जिस समय आलोचना में दाखिल होते हैं उस दौर में अवधारणाओं में न सोचने की बीमारी आ चुकी थी। पांडेय जी जब भी लिखते अवधारणा को केन्द्र में रखकर लिखते। काश, उनके शिष्य और हिंदी आलोचक एक यही बात उनसे सीख लेते और अवधारणाओं में लिखते तो हिंदी का बड़ा उपकार होता। अवधारणाओं में न सोचने के कारण हिंदी आलोचना सिर्फ शब्दों का खेल होकर रह गयी है। उसका कोई असर नहीं होता। पांडेय जी ने मार्क्सवाद का सर्जनात्मक ढंग से आलोचना में सिद्धांत और व्यवहारिक आलोचना के रूप में विकास किया। मार्क्सवादी नजरिए से लिखते समय जड़ मार्क्सवादी लेखन और पार्टीगत मार्क्सवादी लेखन इन दोनों से मार्क्सवाद और आलोचना की रक्षा की। उनकी कृतियां हिंदी आलोचना की अमूल्य निधि हैं। हम आलोचना कैसे लिखें, यह उनसे सहज ही सीख सकते हैं। उन्होंने 28 किताबें लिखीं और उनके लिए कोई सरकारी ग्रांट नहीं ली। कोई बड़ा यूजीसी प्रोजेक्ट नहीं लिया। वे किताब लिखने के लिए छुट्टी लेकर घर पर नहीं बैठे, शिमला नहीं गए। निरंतर पढ़ाना और नए विषयों पर किताबें लिखना, यह उनके दैनंदिन जीवन का अंग था। आलोचना दिनचर्या थी, संस्कार थी। उन्होंने छात्रों के साथ मित्रता का सम्बन्ध बनाया और सत्ता से सारी जिन्दगी दूरी बनाए रखकर लोकतंत्र की सेवा की। उनकी मौत से हम सब आहत हैं।

(लेखक हिन्दी के महत्वपूर्ण आलोचक हैं।)

कवि का पन्ना



(05 अगस्त, 1994 को उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के ममहर में जन्मे बच्चा लाल 'उन्मेष' ने एम.ए. तक की शिक्षा पाई है। मलखान सिंह सिसौदिया कविता पुरस्कार 2021 एवं ओमप्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2022 से सम्मानित इस कवि के दो कविता संकलन 'छिछले प्रश्न गहरे उत्तर' और 'कौन जात हो भाई' प्रकाशित है। इनकी कविता 'कौन जात हो भाई' सोशल मीडिया में वायरल हुई। उसी के बाद ये सुर्खियों में आये। इनकी कविताओं में दलित जीवन का बाहरी और भीतरी दोनों रूप बहुत ही गहरे सरोकार के साथ सधे रूप में अभिव्यक्त हुआ है। समकालीन हिन्दी कविता में इनकी वैज्ञानिक सोच से लैस विशिष्ट उपस्थिति खासकर, गजल और गीत विधा को एक अलग मायने देती हुई आगे बढ़ रही है। हमें उम्मीद है, उनकी सक्रियता हिन्दी कविता को एक ऊंचाई प्रदान करेगी : सम्पादक)

हिन्दू वाली फाइल्स

हिन्दू वाली फाइल्स में
परिशिष्ट-सा नथा हूं,
मैं जाति वाला चैप्टर हूं
उपेक्षित घृणित कथा हूं।

हूं पढ़ने में नीरस मैं,
कुछ लोगों के लिए अछूत,
बोर्ड के प्रश्न पत्रों में जैसे
'अथवा' करके रखा हूं।

मैं हिन्दू वाली फाइल्स में
परिशिष्ट-सा नथा हूं।

मैं सिमटा हुआ-सा अक्षर हूं
कबीरा-सा निरक्षर हूं
'सर्वजन हिताय' के दीप तले
बहुजन वाली व्यथा हूं।

मैं हिन्दू वाली फाइल्स में
परिशिष्ट-सा नथा हूं।

चमार, खटीक, भंगी, लुहार
अहोय, गडरिया, बिंद, सुनार
न पृच्छे इस फाइल में कितने
कामा दे-दे बटा हूं।

मैं हिन्दू वाली फाइल्स में
परिशिष्ट-सा नथा हूं।

कितनी हवा और कितना जल
आज कितना और कितना कल,
प्रश्नवाचक चिन्ह साथ लिए
सिर्फ प्रश्नों को रटा हूं।

मैं हिन्दू वाली फाइल्स में
परिशिष्ट-सा नथा हूं।

मैं हूं भैंस, वे हैं लाठी
कैसे भागूं, बंधा हूं काठी
उनकी मलाई की खातिर
मैं दही-सा मथा हूं।

मैं हिन्दू वाली फाइल्स में
परिशिष्ट-सा-नथा हूं।

वे सट के हो गये जिल्द समान
हम अलग होकर हुए तमाम,
अवसर की खींचातानी में
मैं ही अंत में फटा हूं।

मैं हिन्दू वाली फाइल्स में
परिशिष्ट-सा नथा हूं।

सम्पादक भी उसी वर्ग का
सम्पादन का हंग उसी का
वे पूरा मात्रा से अक्षुब्ध
मैं नुक्ता देख कटा हूं।

मैं हिन्दू वाली फाइल्स में
परिशिष्ट-सा नथा हूं।

साफ-सुथरा बरदाश्त नहीं
उनको आता रास नहीं
मर कर ही मैं इस फाइल से
पूरी तरह कटा हूं।

मैं हिन्दू वाली फाइल्स में
परिशिष्ट-सा नथा हूं।

बच्चा लाल उन्मेष

....

राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय, बिहार द्वारा आदेशित तथा यूनाईटेड पिंटर्स एण्ड सर्विस प्रोभाइडर, सन्दलपुर, पटना द्वारा मुद्रित, मो.-8434977434